

v/; k; -III

3. I 0; ogkj la ds ys[tki j h[tk i k.k

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

I j d k j h d E i f u ; k

; w i h - i k s t D V 4 d k j i k j s k u f y f e V M

3.1 o k L r n p k j l a d s x j v f h k i r f g r y k h k

d E i u h u s o k L r n p k j d s ' k y d i j l o k d j d s : i e a ₹ 61.57 y k [k d k H k x r k u d j o k L r n p k j l a d s x j v f h k i r 1/2 u b u v s i m m 1/2 f g r y k h k i g p k ; k A

यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) निक्षेप आधार अर्थात वास्तविक लागत पर एक निर्धारित दर से सेन्टेज जोड़कर राज्य सरकार के कार्यों को निष्पादित करती है और इसके लिये यूपीपीसीएल द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) की प्रक्रिया को अपनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश (फरवरी 1997) के अनुसार सेन्टेज की दर 12.5 प्रतिशत निर्धारित की गई जिसमें 1.5 प्रतिशत वास्तुकार शुल्क सम्मिलित है। चूँकि यूपीपीसीएल के पास अलग वास्तुकार विभाग नहीं है, यह यूपीपीसीएल द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य की ड्राइंग/डिजाइन और प्राक्कलन बनाने हेतु बाहरी वास्तुकारों को नियुक्त करती है। वित्त अधिनियम 1994 (अधिनियम) के अध्याय V की धारा 68 जो कि सेवाकर से सम्बन्धित है, के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने पर अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा। वास्तुकार सेवाएं 16 अक्टूबर 1998 से सेवा कर के अर्न्तगत कर योग्य हो गयीं थीं।

फरवरी 1997 के शासनादेश के अनुसार, वास्तुकार शुल्क की स्वीकार्य सीमा, परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत तक ही सीमित रखी जानी थी। हमने पाया कि यूपीपीसीएल ने वास्तुकार शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत का भुगतान किया और सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान किया जबकि राज्य सरकार की दूसरी निर्माण इकाइयों² ने परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत तक (सेवा कर को सम्मिलित करते हुए) ही वास्तुकार शुल्क का भुगतान किया। इस प्रकार, ऐसा करके, यूपीपीसीएल ने अपने द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य में ₹ 61.57 लाख³ का गैर अभिप्रेत हितलाभ पहुँचाया। चूँकि सेवा कर की राशि प्राक्कलन में सम्मिलित एवं स्वीकृत नहीं थी, यूपीपीसीएल राज्य सरकार के विभागों से इसे प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि फरवरी 1997 में वास्तुकार सेवाओं पर कोई सेवा कर नहीं था और बाद में 16 अक्टूबर 1998 से लगाया गया था; अतः वास्तुकार शुल्क पर सेवा कर का भुगतान किया गया। उत्तर में आगे बताया गया कि अब वास्तुकारों को भुगतान परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत (सेवा कर सहित) तक सीमित रखा जा रहा था।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यूपीपीसीएल को वास्तुकार सेवाओं के लिये भुगतान करने से पहले यूपीआरएनएन से पड़ताल कर लेनी चाहिए थी (जिसकी प्रक्रिया यूपीपीसीएल द्वारा अपनायी गयी थी) जो कि सेवा कर सहित वास्तुकार शुल्क 1.5

² उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड तथा निर्माण एवं अभिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश जल निगम।

³ आँकड़े उन 16 इकाइयों से सम्बन्धित हैं जिनकी लेखापरीक्षा की गई।

प्रतिशत तक ही सीमित करती है। ऐसा न करके यूपीपीसीएल ने वास्तुकारों को गैर अभिप्रेत हित लाभ पहुँचाया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.2 ग्लोबल डेवेलपर्स, एलएनओ डेवेलपर्स और एलएनओ डेवेलपर्स; एलएनओ डेवेलपर्स

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज (जीजीएसएससी), लखनऊ, के हॉकी के मैदान के पुनः निर्माण का कार्य यूपीपीसीएल को प्रदान किया। यूपीपीसीएल ने कार्य को पाँच विभिन्न मदों^A में बाँटकर, ₹ 2.42 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। यूपीपीसीएल ने तीन फार्मों से कोटेशन एकत्र किये और कार्य की सभी पाँचों मदों को ₹ 2.18 करोड़ में करने के लिए स्नॉप स्पोर्ट्स इण्डिया (एसएसआई)^X को आदेशित किया। कार्य जो कि 25 दिसम्बर 2011 को पूर्ण होना था, अप्रैल 2012 में पूर्ण हुआ।

अपनी जाँच में हमने निम्न बिन्दु पाये:

- केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों (फरवरी 2011) में प्रावधान है कि जटिल प्रकृति के संयंत्र/उपकरणों की खरीद के मामले में, जहाँ खरीद करने वाले संगठन को बाजार में उपलब्ध विभिन्न तकनीकी समाधानों का पूर्ण ज्ञान न हो, यह विवकपूर्ण होगा कि हित की अभिव्यक्ति आंत्रित की जाये और अनुभवी निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त तकनीकी विशिष्टियों/प्रस्तुतियों के आधार पर विनियोजन का अन्तिम रूप एक पारदर्शी तरीके से दिया जाये। यद्यपि यूपीपीसीएल को एस्ट्रोर्टफ के संस्थापन के विषय में कोई पूर्व अनुभव/डोमेन ज्ञान नहीं था, कम्पनी ने अच्छी तरह स्थापित प्रक्रिया^Y और उच्च मूल्य ठेके के लिए खुली निविदा करने के लिए सीवीसी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। यूपीपीसीएल ने क्रय समिति^Z रिपोर्ट (पीसीआर) के आधार पर तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके कार्य की सभी पाँचों मदों को एक ही फर्म को प्रदान किया। खुली निविदा प्रक्रिया से सबसे उपयुक्त विशिष्ट और प्रतिस्पर्धी दरों को सुनिश्चित किया जा सकता था।
- कार्य की अनुमानित लागत को औचित्यपूर्ण बताने के लिए बाजार सर्वेक्षण एवं दर विश्लेषण का कोई अभिलेख नहीं था। मदवार लागत के ब्रेक-अप का लागत सार के साथ मेल नहीं था। परिणामतः, मदवार कार्य की लागत की प्रामाणिकता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।
- 6,400 वर्ग मीटर आयातित एस्ट्रोर्टफ की आपूर्ति करने का कार्य (2 अप्रैल 2011) ₹ 1.70 करोड़ में ₹ 2,650 प्रति वर्ग मीटर की दर पर एसएसआई को प्रदान किया गया। हमने पाया कि वास्तव में एसएसआई द्वारा एस्ट्रोर्टफ ₹ 1,018 प्रति वर्ग मीटर पर क्रय किया गया था। रोचक रूप से, कम्पनी को 12 जून 2011 में ही वास्तविक क्रय मूल्य की जानकारी थी क्योंकि कम्पनी ने ही वास्तविक क्रय दर के लिए सीमा शुल्क विभाग से छूट प्राप्त करने के

^A विद्यमान एस्ट्रोर्टफ को अलग-अलग करना और कार्य-स्थल भण्डार में ढेर लगाना, (ब) कार्य-स्थल पर 20 मिमी मोटी बिट्यूमिनस परत की आपूर्ति, (स) उप आधार को 20 मिमी मोटी बिट्यूमिनस परत द्वारा बराबर करना सम्पूर्ण कार्य (ड) अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी संघ (एफआईएच) द्वारा स्वीकृत एक्सट्रीम एस्ट्रोर्टफ एनएफएच-12 की कार्य स्थल पर आपूर्ति (द) इमलशन कोट के साथ एस्ट्रोर्टफ को बिछाना, स्थानीय कार्य स्थल पर गड्डियों को ले जाना, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क इत्यादि और आवश्यक मजदूर और टी एण्ड पी।

^X स्नॉप स्पोर्ट्स के नाम से भी जानी जाने वाली, तीन कार्यालयों से कार्य करने वाली दो लखनऊ में और एक दिल्ली में।

^Y वित्तीय हस्त पुस्तिका (एफएचबी) संस्करण VI के पैरा 360 के अनुसार

^Z (1) परियोजन प्रबंधक (2) सहायक परियोजना प्रबंधक (3) कनिष्ठ अभियन्ता और (4) लेखाकार से बनी हुयी।

लिए पत्राचार किया था और 25 जून 2011 को समय विस्तार भी प्रदान किया था। चूँकि, फर्म ने आपूर्ति और संस्थापन नियत समय के अन्दर पूरा नहीं किया था, कम्पनी को फर्म से मोल-भाव करके या तो आपूर्ति का मूल्य घटाना चाहिए था या संविदा को ही रद्द कर देना चाहिए था। फिर भी, कम्पनी ने समय विस्तार की स्वीकृति, कीमत को वास्तविक स्तर तक घटाने का प्रयास किये बिना ही दे दी।

- विनिर्माता एसीटी ग्लोबल की वेबसाइट पर दर्शायी गयी विशिष्टि के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) द्वारा स्वीकृत टर्फ एनएफएच-12 का पाइल वेट 1,780 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और सेकेण्डरी बैकिंग का भार 1,000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन, एसएसआई को उसी ब्रान्ड के टर्फ एनएफएच-12 के लिए निर्गत आपूर्ति आदेश में अव्याख्येय रूप से पाइल वेट कम करके 1,250 ग्राम प्रति वर्ग मीटर एवं सेकेण्डरी बैकिंग 1,080 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर्शाया गया था।
- टर्फ उचित प्रकार से संस्थापित किया गया अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि एफआईएच के खेल प्रमुख ने हमें 30 जुलाई 2012 के पत्र द्वारा बताया कि ठेकेदार द्वारा कम्पनी को सौंपी गई, दिनांक 6 फरवरी 2012 की मैदान परीक्षण रिपोर्ट जो कि एफआईएच की रिपोर्ट बताई गई थी, असली नहीं थी।
- संस्थापन मानक स्तर के अनुसार नहीं था जो कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मैदान की जाँच के लिए गठित समिति* ने पाया (जनवरी 2012) कि एस्ट्रोर्टर्फ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जीजीएसएससी के प्रधानाचार्य ने भी (फरवरी 2012) एस्ट्रोर्टर्फ की निम्न कोटि की गुणवत्ता के सम्बन्ध में और एस्ट्रोर्टर्फ पर विनिर्माता के लोगो के अभाव की शिकायत की थी।
- सात साल की वारन्टी उपवाक्य का पालन करने के लिए एसएसआई द्वारा निष्पादन बैंक गारन्टी का कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, निविदाओं के बिना कार्य प्रदान करने के कारण, बाजार के रूझान का विश्लेषण किये बिना उच्च दरों पर, और कोई विश्वसनीय आउटपुट के बिना परीक्षण के लिए भुगतान करके कम्पनी ने फर्म का अनुचित पक्ष लिया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि कार्य के निष्पादन के लिए आदेश, क्रय समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण के बाद, प्रदान किया गया और सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म को कार्य प्रदान किया गया था। तथ्य यह कि कम्पनी ने खुली निविदा नहीं आमंत्रित की जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी) और केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया था। प्रबन्धन ने इस कारण से अवगत नहीं कराया कि आपूर्तिकर्ता को समय विस्तार की अनुमति देने के पूर्व एवं यह जानने के बावजूद की आपूर्तिकर्ता ने बहुत कम दर पर एस्ट्रोर्टर्फ खरीदा था, एस्ट्रोर्टर्फ की दर को कम करने के लिए मोल-भाव क्यों नहीं किया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj i nsk ty fuxe vjg ; wi h- i kst DV4 d k j i k j s ku fyfeVM

3.3 I heV ds Ø; ij i f j g k; Z 0; ;

fuxe@; i hi hl h, y us I heV ds Ø; ds fy, nj I fonk ds fu' i knu u d j us ds d k j . k ₹ nks d j k M + dk i f j g k; Z 0; ; ; fd; k A

निर्माण और अभिकल्प सेवाएं, उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) और यूपी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), दूसरी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) और उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड

* श्री साईद अली, ओलम्पिक हॉकी खिलाड़ी; श्री मुकुल शाह, अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी; और श्री राशिद अजीज, प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण, सम्मिलित हैं।

(यूपीएसबीसीएल) के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष निर्माण संस्थाएँ हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स जैसे सीमेंट का क्रय अति महत्वपूर्ण है। दोनों कम्पनियों जैसे यूपीआरएनएन और यूपीएसबीसीएल सीमेंट के क्रय हेतु विनिर्माताओं के साथ दर संविदा करती थीं। हमने पाया कि निगम और यूपीपीसीएल में दर संविदा के आधार पर सीमेंट क्रय की कोई प्रणाली नहीं थी। परिणामतः, विभिन्न इकाइयों में सीमेंट क्रय की दरों में भिन्नतायें थीं और उसी अवधि में यूपीआरएनएन एवं यूपीएसबीसीएल द्वारा सीमेंट खरीद दरों की तुलना में उच्च दरों पर थी।

हमने पाया कि निगम की दो युनिटों* ने, जून 2009 से फरवरी 2012 की अवधि के दौरान, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से क्रय समिति रिपोर्ट (पीसीआर) के आधार पर ₹ 244 प्रति बैग से ₹ 334 प्रति बैग के बीच 2,42,122 बैग सीमेंट (पीपीसी) की खरीद की थी, जबकि समान समयावधि में यूपीआरएनएन ने दर संविदा पर ₹ 167 प्रति बैग से ₹ 277 प्रति बैग के बीच सीमेंट क्रय किया था।

इसी प्रकार, यह पाया गया कि यूपीपीसीएल की तीन युनिटों* ने जून 2010 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से पीसीआर के आधार पर ₹ 231 प्रति बैग से ₹ 295 प्रति बैग की दरों पर 2,52,322 बैग सीमेंट (पीपीसी) क्रय किया था; जबकि, उसी समयावधि के दौरान यूपीआरएनएन ने दर संविदा ₹ 171 प्रति बैग और ₹ 270 प्रति बैग की दर के बीच तथा यूपीएसबीसीएल ने ₹ 170 प्रति बैग और ₹ 240 प्रति बैग की दर के बीच सीमेंट क्रय किया था। समान दर संविदा न करके निगम और यूपीपीसीएल द्वारा सीमेंट के क्रय पर ₹ दो करोड़* का अतिरिक्त खर्च वहन किया गया जो टाला जा सकता था।

यूपीपीसीएल के प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2012) कि कम्पनी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित छोटी परियोजनाओं को संभालती है और सीमेंट की आपूर्ति के बाद भुगतान किया गया था, और वहाँ भण्डारण का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही निर्माता, दरें भी हर सप्ताह निर्धारित करते हैं, इसलिए तीन महीनों के लिए एक ही दर पर क्रय अव्यवहारिक था क्योंकि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता था और कम्पनी को उच्च दर पर भुगतान करना पड़ता। प्रबंधन का उत्तर, उत्तरधारणा है और स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपने द्वारा या यूपीएसबीसीएल द्वारा किये गये दर संविदा को अपनाकर सीमेंट क्रय का कोई प्रयास नहीं किया।

हम अनुशंसा करते हैं कि सिविल निर्माण में लगी हुई सभी कम्पनियों/निगमों में समन्वय होना चाहिए और निर्माताओं से एक दर संविदा/संयुक्त दर संविदा के माध्यम से सामग्री की खरीद की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे अधिकतम किफायती मूल्यों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

प्रकरण निगम एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (फरवरी 2013)।

mRrj i nsk i koj dkj i kjsku fyfeVM

3.4 **Åtkl Ø; ds fy, mPp nj dh fufonk dks vflrke : lk nus ds dkj .k vuoprñ glfu**

प्रस्तावना

3.4.1 प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (पीपीजीसीएल) का निगमन 12 फरवरी 2007 को स्पेशल परपज व्हेकिल (एसपीवी) के रूप में इलाहाबाद जिले के बारा (3X660 एमडब्ल्यू) में थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) की स्थापना हेतु हुआ। फीडबैक वेन्चर्स लिमिटेड को निविदा का मूल्यांकन और निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने से

* कानपुर यूनिट और हरदोई यूनिट।

• यूनिट-13 लखनऊ, यूनिट-14 लखनऊ, यूनिट-17 लखनऊ।

• उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 1.43 करोड़ यूपीआरएनएन के साथ तुलना की गयी); यूपीपीसीएल (₹ 0.57 करोड़ यूपीएसबीसीएल के साथ तुलना की गयी)। निष्पादित की गयी परियोजनाओं की विस्तारिता का ध्यान में रखते हुए तुलना की गयी थी।

सम्बन्धित कार्य निष्पादन हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता ने लेवेलाइज्ड आधार पर ₹ 2.60 से ₹ 2.70 प्रति केडब्ल्यूएच की अपेक्षित टैरिफ का आगणन किया था जिसे इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) को उसकी 5 मई 2008 की बैठक में बताया गया था।

यूपी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अधिप्राप्तकर्ताओं (डिस्काम्स*) की ओर से अपने अधिकृत प्रतिनिधि (पीपीजीसीएल) के माध्यम से बारा टीपीएस में 25 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा वित्तीय सहायता, विकास, निर्माण, कमीशन, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण तथा डिस्काम्स को ऊर्जा पूर्ति हेतु निविदायें (जून 2007) आमंत्रित की। निविदा प्रपत्रों में (i) रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू) जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय कसौटी सम्मिलित था (ii) रिक्वेस्ट फार प्रोजल (आरएफपी), उन निविदादाताओं को निर्गत किया जाना था जो तकनीकी एवं वित्तीय कसौटी की अर्हता रखते थे।

टैरिफ को निर्धारित प्रारूप में उद्घृत किया जाना था जिसमें, एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज, नॉन-एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज** एवं हीट रेट (केकैल/केडब्ल्यूएच) सम्मिलित था; लेवेलाइज्ड टैरिफ इन्ही आधार पर आगणित किया जाना था। निविदादाताओं में सबसे कम लेवेलाइज्ड टैरिफ का प्रस्ताव देने वाले को सफल निविदादाता के रूप में चुना जाना था।

आरएफपी का खण्ड संख्या 2.7.1.3 प्रावधानित करता था कि यदि निविदादाता किसी भी रूप में गलत वक्तव्य, तथ्यों की गलत तरीके से प्रस्तुतीकरण या भ्रामक वक्तव्य देता है तो, उसकी निविदा क्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरस्त करने योग्य थी।

निविदा का अन्तमीकरण

3.4.2 घटित घटनाओं का विवरण नीचे उल्लिखित है:

- यूपीपीसीएल द्वारा बारा पावर प्रोजेक्ट के लिए निविदायें (जून 2007) आमंत्रित की गयी। चार* निविदायें प्राप्त हुई तथा सभी रिस्पान्सिब पायी गयीं; अतः, वित्तीय निविदायें खोली (11 अप्रैल 2008) गयीं। चूँकि वित्तीय निविदायें उच्च स्तर पर पायी गयी थीं, मई 2008 में बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य माँगा गया।
- चार निविदादाताओं ने परियोजना हेतु बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य प्रस्तुत किया। निम्नतम निविदादाता (एल-1) यथा रिलायन्स पावर लिमिटेड (आरपीएल) द्वारा उद्घृत दरों को उपयुक्त नहीं पाया गया, अतः निविदा मूल्यांकन समिति (बीईसी) और एनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) की संस्तुतियों पर, जीओयूपी ने निविदा प्रक्रिया रद्द करने (जुलाई 2008) तथा नई निविदा आमंत्रित करने (अगस्त 2008) का निर्णय किया।
- परियोजना हेतु द्वितीय नई निविदायें अगस्त 2008 में आमंत्रित की गयीं। तीन* निविदायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त दरें पुनः उच्च स्तर पर पायी गयीं। अतः, फरवरी 2009 में बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य माँगा गया।
- तीन निविदादाताओं ने बारा हेतु बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य दिया। जयप्रकाश एसोसियेटेड्स लिमिटेड (जेएल) द्वारा उद्घृत न्यूनतम दर ₹ 3.020 प्रति युनिट को अन्तमीकृत किया गया तथा मार्च 2009 में कार्यादेश पत्र (एलओआई) निर्गत किया गया।

* दविविनिलि, मविविनिलि, पूविविनिलि, पविविनिलि एवं केस्को लिमिटेड

** कैपिसिटी चार्ज जो टैरिफ का भाग है एसकैलेबिल एवं नान-एसकैलेबिल (स्थिर) कैपिसिटी चार्ज से मिलकर बना है। एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज सीईआरसी द्वारा अधिसूचित वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर बढ़ने थे तथा नान एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज निविदा की समयावधि के दौरान स्थिर रहने थे।

* लैन्को, आरपीएल, जेएसपीएल एवं एनटीपीसी।

• लैन्को, आरपीएल एवं जेएएल।

पहली निविदा एवं दूसरी निविदा के विरुद्ध एल-1 एवं एल-2 की दरों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गयी है:

fufonk@frffk	fufonkkrk dk ule	ifr ; (uV mnAr yoyktbTM VsjQ		mnAr LVsku gIV jV % I , pvtij½ iktfHkd@ cLV fjM: LM
		ikt fHkd	cLV fjM: LM	
प्रथम निविदा/जून 2007	लैन्को	2.888(एल ₁)	2.651(एल ₂)	2394/2394
	रिलायन्स पावर लिमिटेड (आरपीएल)	2.940(एल ₂)	2.640(एल ₁)	1805/05
द्वितीय निविदा/अगस्त 2008	लैन्को	3.091(एल ₂)	3.091(एल ₂)	2350/2350
	जेएएल	3.366(एल ₂)	3.020(एल ₁)	2350/2350

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3.4.3 हमने प्रपत्रों यथा रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन, रिक्वेस्ट फार प्रपोजल, तुलनात्मक दरें, निविदा मूल्यांकन प्रतिवेदन, निविदा मूल्यांकन समिति एवं एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा की गयी मूल्यांकन/संस्तुतियों सहित विद्युत क्रय अनुबन्ध का निरीक्षण किया और समितियों यथा बीईसी एवं ईटीएफ के गठन एवं विद्युत क्रय हेतु उच्च दरों की स्वीकृति पर कमियाँ पायी जिसकी चर्चा उत्तरवर्ती प्रस्तारों में की गयी है:

समितियों की भूमिका

3.4.4 सिद्धान्तः, यदि सरकार द्वारा निम्न स्तर पर दो स्तरीय जाँच के बाद कोई निर्णय लिया जाना है; तो सभी स्तरों पर स्वतन्त्र एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों स्तरों के गठन में, मूलभूत रूप से, अध्यक्ष भिन्न होना चाहिए।

शासन द्वारा निविदा का अन्तर्मीकरण निविदा मूल्यांकन समिति (वीईसी)[•] द्वारा किये गये मूल्यांकन तथा इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ)[•] की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना था। हमने पाया कि, वीईसी एवं ईटीएफ दोनों के अधिकांश सदस्य वही[•] थे तथा राज्य का मुख्य सचिव एवं आईआईडीसी का कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी ही अध्यक्ष था। इन परिस्थितियों में, बीईसी द्वारा दी गयी संस्तुतियों का उचित एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन ईटीएफ द्वारा सम्भव नहीं था तथा ईटीएफ ने प्रथम निविदा के बाद आयी बेस्ट दरों के मूल्यांकन में क्रेता के पास उपलब्ध विकल्पों के परीक्षण के बिना बीईसी के साथ केवल अपनी सहमति व्यक्त किया।

ऊर्जा क्रय के लिए उच्च दरों का प्रदान किया जाना

3.4.5 हमने पाया कि जून 2007 में आमंत्रित प्रथम निविदा के विरुद्ध, लेन्को द्वारा उद्धृत दर (₹ 2.888 प्रति केडब्ल्यूएच) निम्नतम (एल-1) थी लेकिन परामर्शदाता ने इसे अपेक्षित टैरिफ (₹ 2.60 से ₹ 2.70 प्रति केडब्ल्यूएच) से 5 से 10 प्रतिशत अधिक मूल्यांकित किया था। बेस्ट रिड्यूस्ड दर इसीलिए मई 2008 में आमंत्रित किया गया। आरपीएल द्वारा उद्धृत बेस्ट रिड्यूस्ड दर (₹ 2.64 प्रति केडब्ल्यूएच) स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि ईटीएफ ने इसे निम्नलिखित कारणों से सम्भव नहीं माना:

- पूर्व में उद्धृत 1805 केकैल/केडब्ल्यूएच एसएचआर के विरुद्ध बाद में उद्धृत 05 केकैल/केडब्ल्यूएच एसएचआर व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं था।
- आरपीएल द्वारा उद्धृत टैरिफ पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के मापदण्डों का प्रयोग करते हुए टैरिफ की विवेचना के आधार पर संविदा अवधि के प्रारम्भिक 15 वर्षों में निविदादाता अपनी समस्त स्थायी लागतें वसूल करता एवं 18/19 वर्षों के बाद; परियोजना में परिचालन नकद हानियाँ शुरु हो जायेंगी; इसलिए, निविदादाता द्वारा प्लाण्ट को बन्द कर देने का खतरा था।

[•] बीईसी की संरचना: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) अध्यक्ष, अध्यक्ष यूपीपीसीएल, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) प्रमुख सचिव (वित्त), प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल, केन्द्रीय विद्युत आयोग का प्रतिनिधि, निदेशक (पारिषण), निदेशक (वित्त) यूपीराविउनिलि का सलाहकार जुलाई 2008 से, प्रमुख सचिव (सीएस), जीओयूपी सीएस एवं आईआईडीसी दोनों भूमिकाओं में था।

[•] ईटीएफ का संरचना: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (अध्यक्ष), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (ऊर्जा), प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख सचिव (नियोजन) प्रमुख सचिव (पर्यावरण), प्रमुख सचिव (न्याय), अध्यक्ष यूपीपीसीएल, प्रबन्ध निदेशक यूपीराविउनिलि, प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल।

[•] बीईसी के नौ सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से पाँच ईटीएफ के भी सदस्य थे।

आरएफपी के प्रावधानों के अनुसरण में परामर्शदाता ने बीईसी को इसीलिए तीन उपलब्ध विकल्प सुझाये:

- 'वेस्ट रिड्यूस्ड फाइनैसियल बिड' का आमंत्रण;
- निविदा प्रक्रिया को रद्द करना; अथवा
- क्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि के स्वैच्छिक विचार पर लिया गया कोई भी निर्णय जो कि उपयुक्त हो।

चूंकि प्रथम विकल्प का पहले ही उपयोग किया जा चुका था, बीईसी द्वारा दूसरे विकल्प की संस्तुति के आधार पर, ईटीएफ ने निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय (जुलाई 2008) लिया। ईटीएफ ने, हाँलाकि, तीसरे उपलब्ध विकल्प के अनुपालन पर कोई विचार नहीं किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लैन्को द्वारा उद्धृत एल-2 दरें एल-1 की दरों से केवल 1.10 पैसे प्रति युनिट अधिक थी अन्यथा निविदा निम्नलिखित आधार पर सम्भव थी:

- लैन्को की निविदा रिस्पान्सिव थी, जो सभी योग्यता कसौटी को पूर्ण करती थी।
- निविदा शर्त रहित थी।
- लैन्को द्वारा उद्धृत टैरिफ स्ट्रीम (₹ 2.651 प्रति केडब्ल्यूएच) परामर्शदाता द्वारा आँकलित (₹ 2.60 से 2.70 प्रति केडब्ल्यूएच) के भीतर थी।
- देश के दूसरे राज्यों में राज्य जनउपयोगी सेवाओं द्वारा प्रदान किये गये कोयला लिंकेज के साथ कार्यान्वित हुयी परियोजनाओं की तुलना में लैन्को द्वारा उद्धृत टैरिफ स्ट्रीम अधिक उपयुक्त पायी गयी थी।
- एल-1 आरपीएल एवं एल-2 लैन्को की दरों में केवल 1.10 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच का अन्तर था।

इस प्रकार, सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध लैन्को की रिस्पान्सिव एवं वित्तीय रूप से सम्भव निविदा के चुनाव में बीईसी एवं ईटीएफ ने क्रेता के स्वैच्छिक विचार पर लिया गया निर्णय के विकल्प की अनदेखी की। निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अगस्त 2008 में पुनः निविदा करने के परिणामतः एक माह पूर्व (जुलाई 2008) उपलब्ध सबसे उपयुक्त विकल्प की तुलना में प्रस्तुत लेवेलाइज्ड टैरिफ (₹ 0.369 प्रति केडब्ल्यूएच) में भारी वृद्धि हुयी। मार्च 2009 में जेएएल को परियोजना हस्तगत की जा चुकी है तथा संविदा के 25 वर्षों की समयावधि में ₹ 10,831.82 करोड़* (if jf k'V&15½ की हानि होगी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2012) कि ऊर्जा मंत्रालय एसएचआर मूल्य के लिए कोई भी सीमा प्रावधानित नहीं करता है। तदनुसार, आरएफपी के किसी भी खण्ड में एसएचआर के किसी उद्धृत मूल्य के आधार पर निविदा को निरस्त करने का कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए, आरपीएल की निविदा को नान-रिस्पान्सिव नहीं माना जा सकता था।

हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आरएफपी के प्रावधानों के अनुपालन में, निविदादाता (आरपीएल) ने आरएफपी के अनुलग्नक-6 में निर्धारित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया था कि उसने निविदा में न तो कोई ऐसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक वक्तव्य न ही कोई ऐसी सूचना प्रदान की थी जो कि उनकी श्रेष्ठतम जानकारी में गलत या भ्रामक थे। ऐसी अण्डरटेकिंग तथ्यात्मक रूप से गलत थी क्योंकि निविदादाता द्वारा उद्धृत 05 एसएचआर ऊर्जा उद्योग में मौजूदा एसएचआर को देखते हुए भ्रामक एवं अकार्यशील था। इन परिस्थितियों में, आरपीएल की निविदा रद्द करने योग्य थी एवं लैन्को द्वारा प्रस्तुत निविदा जो कि अपेक्षित एवं कार्यशील टैरिफ के अन्दर थी को अन्तर्मीकृत किया जाना चाहिए था।

* हानि की गणना में प्रयोग की गयी कार्यप्रणाली।
(जेएएल से वर्षवार संविदावधि में क्रय की जाने वाली यूनिटें x जेएएल की प्रति यूनिट भुगतान हेतु दर) घटाया (लैन्को से वर्षवार संविदावधि में क्रय की जाने वाली यूनिटें x लैन्को को प्रति यूनिट भुगतान हेतु दर) क्रय की जाने वाली यूनिटें = संविदा की गयी क्षमता मेगावाट में (एलओआई के अनुसार) x केडब्ल्यू x घण्टे x वर्ष में दिन।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.5 अंतरिक्ष विकास निगम लिमिटेड; ;

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत है, राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्य करने वाली अपनी सहायक कम्पनियों के समन्वय में संलग्न है।

राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में हुये विकास, भविष्य के लक्ष्य एवं परियोजनाओं के व्यापक प्रचार हेतु एक 'श्वेत पत्र' निर्गत (18 जुलाई 2009) किया। कम्पनी ने, निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, तीन आपूर्तिकर्ताओं को चार बीजकों के विरुद्ध ₹ 29 लाख का भुगतान (सितम्बर 2009) श्वेत पत्र पुस्तकों की छपाई दर्शित करते हुये किया जिसका विवरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

फॉज.क	"अंतरिक्ष विकास निगम लिमिटेड; ;	एक=क ₹ 4; 1/2	नज 1/2	एन; 1/2
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीएसएसएल)	अन्दर के पृष्ठ 90 जीएसएम पर दो रंगों में तथा मुख पृष्ठ 250 जीएसएम आर्ट पेपर पर चार रंगों में	1,50,500	4.32 (वैट अतिरिक्त)	679417
	अन्दर के पृष्ठ 190 जीएसएम पर दो रंगों में तथा मुख पृष्ठ 300 जीएसएम आर्ट पेपर पर चार रंगों में	1,20,500	8.79 (वैट अतिरिक्त)	1106858
प्रकाश पैकेजर्स	श्वेत पत्र पुस्तकों की छपाई- आठ अन्दर के पृष्ठ तथा मुख पृष्ठ चार रंगों में	3,00,000	2.18 (वैट सहित)	654000
सोलर प्रिन्ट प्रोसेस लिमिटेड (प्रा.) (एसपीपीएल)	श्वेत पत्र की छपाई- अन्दर के पृष्ठ दो रंगों में तथा मुख पृष्ठ चार रंगों में	1,50,000	2.95 (वैट अतिरिक्त)	460200
: kx		7,21,000		2900475

हमने आदेशों को निर्गत करने और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में विभिन्न अनिमिततायें पायी जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- कार्यादेश विवरण में यूपीएसएसएल और एसपीपीएल द्वारा छापी गयी श्वेत पत्र पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं थी जिसके कारण लेखापरीक्षा में कार्यादेशित दरों के औचित्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- यूपीएसएसएल ने अपने आपूर्ति चालान संख्या 401 दिनांक 18 जुलाई 2009 के द्वारा 1,50,500 श्वेत पत्र पुस्तकें तथा चालान संख्या 404 दिनांक 22 जुलाई 2009 द्वारा 1,20,500 पुस्तकें भेजा था। ये आपूर्ति चालान ऊर्जा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा सामानों की पावती हेतु हस्ताक्षरित नहीं थे।
- प्रकाश पैकेजर्स ने अपने बिलों के साथ कोई आपूर्ति चालान प्रस्तुत नहीं किया; जिससे, हम यह आश्वस्त नहीं हो सके कि श्वेत पत्र पुस्तकें वास्तव में आपूर्ति हुईं। इसके अतिरिक्त, एसपीपीएल की आपूर्ति चालान एवं बिल हमें उपलब्ध नहीं कराये गये।
- ऊर्जा विभाग ने कोटेशन/निविदा आमंत्रित किये जाने, भाग लेने वाले पक्षकारों की दरों का तुलनात्मक विवरण एवं श्वेत पत्र पुस्तकों के नमूने का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया।
- यूपीएसएसएल द्वारा प्रस्तुत किये गये आपूर्ति चालानों में तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में प्राधिकारी का नाम और उनकी कार्यादेश संख्या एवं तिथि, वास्तविक आपूर्ति एवं स्टोर लेजर में उनके लेखांकन को ऊर्जा विभाग के किसी भी स्तर पर आश्वस्त नहीं किया गया।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा भुगतानों के औचित्य सुनिश्चित करने हेतु बिना जाँच-पड़ताल किये ही आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 29 लाख का भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि सम्पूर्ण प्रक्रिया ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्ण की गयी थी। चूंकि सचिव (ऊर्जा) ने सीएमडी का कार्यभार ग्रहण कर रखा था, सीएमडी कार्यालय से कोई भी प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए एवं भुगतान हेतु बिल सीएमडी कार्यालय से प्राप्त हुए थे।

हम निम्न कारणों से उत्तर से सहमत नहीं हैं:

- उपरोक्त कार्य हेतु आपूर्तिकर्ताओं से मंगाये गये कोटेशन और दिये गये आदेश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों/चालानों में आपूर्ति आदेश संख्या/दिनांक एवं प्राधिकारी का कोई सन्दर्भ उल्लिखित नहीं था।
- सरकार की ओर से कम्पनी द्वारा भुगतान करने के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये थे। उत्तर यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक विभाग का सचिव, एक ही साथ कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किये हुये थे, जिनके आदेश पर यह अनियमित भुगतान हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

nf{k.kpy fo | r forj.k fuxe fyfeVM

3.6 forj.k Ylpxbth vuqll/k ds vflurehdj.k ea gq h vfu; fefrnk, a

प्रस्तावना

3.6.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 का सातवाँ परन्तुक, वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एक नया मार्ग खोलता है, इसके अनुसार यदि कोई विद्युत अनुज्ञापी अपने विद्युत वितरण क्षेत्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति करवाना चाहता है, तो इस अन्य व्यक्ति को सम्बन्धित राज्य के कमीशन से अलग से अनुज्ञापन लेने की आवश्यकता नहीं है यह अनुज्ञापी ही उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु जिम्मेदार होगा।

यूपीपीसीएल ने वितरण तंत्र की कार्यात्मक और वाणिज्यिक दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को गुणात्मक सेवा प्रदान करने के प्रयास में, राज्य सरकार से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विद्युत वितरण में प्रबन्धन विशेषज्ञता लाने के लिये अनुमोदन माँगा (जुलाई 2008)। इस उद्देश्य हेतु सरकार ने यूपीपीसीएल को, प्रस्ताव के लिये आग्रह (आरएफपी) बनाने एवं वितरण फ्रेन्चाइजी (डीएफ) की नियुक्ति को अन्तिम रूप देने के लिये सलाहकार कार्य हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्देश (दिसम्बर 2008) दिया; और राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इनपुट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी सिस्टम (आईबीडीएफएस) को लागू करने हेतु अपना निर्णय प्रेषित (जनवरी 2009) किया। सरकार के निर्णय के अनुपालन में, यूपीपीसीएल ने फीडबैक वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड को परामर्शदाता नियुक्त (जनवरी 2009) किया। परामर्शदाता ने आरएफपी तैयार किया जिसे एनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ*) ने पूर्ण रूप से अनुमोदित किया। भावी बोली लगाने वालों हेतु आरएफपी निर्गत (31 जनवरी/1 फरवरी 2009) किया गया और 25 फरवरी 2009 को बिड खोला गया। तकनीकी रूप से तीन सक्षम बोली लगाने वालों में से, टोरेन्ट पावर लिमिटेड (टीपीएल) ने सबसे ऊँची बोली लगायी और उसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) के आगरा शहर के लिए 20 वर्ष हेतु डीएफ नियुक्त किया गया। आशय पत्र 26 फरवरी 2009 को निर्गत किया गया जिसे डीएफ ने स्वीकार किया। डीएफ के साथ अनुबन्ध मई 2009 में किया गया।

डीएफ अनुबन्ध के पूर्व की शर्तों के अनुपालन में और अधिग्रहण के पूर्व की औपचारिकताओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के

* सचिव, ऊर्जा विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, वित्त विभाग, कानून, पर्यावरण, सिंचाई, योजना विभाग और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल सम्मिलित हैं।

बाद, मार्च 2010 में डीएफ के साथ एक संशोधित/अनुपूरक अनुबन्ध किया गया और 1 अप्रैल 2010 को आगरा शहर का वितरण नेटवर्क उसे सौंप दिया गया।

आईबीडीएफएस का उद्देश्य

3.6.2 आरएफपी में यह व्यवस्था दी गयी थी कि डीएफ को विद्युत वितरण सम्बन्धित प्रत्येक कार्य, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत यूपीपीसीएल के दायित्व थे, का निर्वहन करना था और वितरण लाइसेंस में निहित सभी गतिविधियों जो कि समय-समय पर यूपीपीसीएल, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा जारी विभिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन थी, को पूरा करना था। कार्य निष्पादन सुधार संकेतक निम्न प्रकार थे:

- सकल वितरण और वाणिज्यिक हानियों को कम से कम करना;
- मीटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रह में सुधार लाना;
- बकाया से सम्बन्धित चालू परिसम्पत्ति को कम से कम करना; और
- सेवा की गुणवत्ता को सुधारकर, ग्राहक सन्तुष्टि स्तर को बढ़ाना।

प्रस्ताव के लिये आग्रह और निविदा विविधियाँ

3.6.3 परामर्शदाता ने वर्ष 2008-09 (दिसम्बर 2008 तक) के वाणिज्यिक प्रपत्र (सीएस-3/4) के आँकड़ों के आधार पर आधार वर्ष 2008-09 के लिए पारेषण एवं वितरण हानि 29.39 प्रतिशत और संग्रहण दक्षता 82.34 प्रतिशत लेते हुए निम्न मुख्य मापदण्ड निर्धारित किये:

- 20 वर्षों की समयावधि के लिए, शून्य बढ़ोत्तरी के साथ, 1902.38 मि.यू. इनपुट ऊर्जा की आपूर्ति करना।
- वर्तमान 29.39 प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियों को प्रथम पाँच वर्षों में 14 प्रतिशत के स्तर पर और 20 वर्ष के अन्त तक 11 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- वर्तमान 82.34 प्रतिशत की संग्रहण स्तर को पाँच वर्ष के भीतर 90 प्रतिशत के स्तर पर लाना और अगले 20 वर्ष तक बनाये रखना।
- डीएफ की परियोजना लागत* का वित्त पोषण 70 प्रतिशत इक्विटी और 30 प्रतिशत ऋण के माध्यम से करने का विचार किया गया। तदनुसार, डीएफ द्वारा किये जाने वाले सम्भावित व्ययों में, कार्यशील पूँजी और पूँजी निवेश पर ब्याज, मूल्य ह्रास, अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान और इक्विटी पर रिटर्न इत्यादि को सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त आँकड़ों और मापदण्डों के आधार पर, परामर्शदाता ने सांकेतिक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी) और प्रत्याशित इनपुट एनर्जी रेट (ईआईईआर) की गणना करते हुए, 20 वर्षों के लिए प्रोजेक्शन तैयार किया, जो कि निम्नवत् है:

fooj.k	i jke kñkrk }kj k dh x; h x.kuk	
	i Fke o'k	20 th o'k
बिल किये गये राजस्व पर प्रति युनिट बिक्रीत ऊर्जा	2.82	3.03
बिल किये गये राजस्व पर प्रति युनिट इनपुट ऊर्जा	2.12	2.70
विद्युत वितरण हेतु डीएफ का व्यय	0.21	0.32
प्रथम वर्ष हेतु सांकेतिक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी)	1.91	2.38
सांकेतिक बीएसटी का 20 वर्ष का लेवेलाइज्ड दर	2.12	
20 वर्ष हेतु बिल किये गये राजस्व पर प्रति युनिट इनपुट एनर्जी का लेवेलाइज्ड दर	2.45	
प्रत्याशित इनपुट एनर्जी दर (ईआईईआर)	2.10	

आरएफपी, निविदा विशिष्टियों के साथ 31 जनवरी/1 फरवरी 2009 को बोली लगाने हेतु निर्गत की गयी, इसमें बताया गया था कि निम्नतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी), बोली के पूर्व की मीटिंग में सूचित किया जायेगा। बोली के पूर्व की मीटिंग का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। ईटीएफ ने उपरोक्त, सांकेतिक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी) का अनुमोदन (6 फरवरी 2009) कर दिया। यूपीपीसीएल ने भी प्रथम वर्ष के लिए ईआईईआर ₹ 2.10 प्रति युनिट की दर से और बीसवें वर्ष के लिए

* कार्यशील पूँजी ₹ 39.94 करोड़ से ₹ 128.48 करोड़ तक और पूँजीगत निवेश ₹ 200 करोड़ 20 वर्ष के अनुबन्धित अवधि के लिए।

लेवेलाइज्ड दर ₹ 2.45 प्रति युनिट, बोलीदाताओं को सूचित (10 फरवरी 2009) किया। बोलीदाताओं को इस ईआईईआर के आधार पर अपनी दरें उद्धृत करनी थी।

बोली का मूल्यांकन

3.6.4 तकनीकी रूप से सक्षम तीन बोलीदाताओं में से, टीपीएल ने सबसे ऊँची दर ₹ 1.52 प्रति युनिट प्रथम वर्ष के लिए और ₹ 1.95 प्रति युनिट की लेवेलाइज्ड दर उद्धृत की। निगोशिएसन के बाद, प्रथम वर्ष के लिए दर बढ़ाकर ₹ 1.54 प्रति युनिट कर दी गयी, परिणामस्वरूप लेवेलाइज्ड दर ₹ 1.96 प्रति युनिट आगणित हुई। ईटीएफ को टीपीएल द्वारा संशोधित की गयी दरों पर आपत्ति थी क्योंकि यह अपेक्षित लेवेलाइज्ड दर ₹ 2.45 प्रति युनिट और बल्क टैरिफ दर ₹ 2.69 से कम थी फलस्वरूप दविविनिलि को सदा आर्थिक हानि की स्थिति बनी रहेगी।

निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान (24 फरवरी 2009) परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट में, 2008-09 (दिसम्बर 2008) के आँकड़ों के आधार पर ₹ 1.74 प्रति युनिट की दर से ईआईईआर पर विचार किया। उपरोक्त दर में से परामर्शदाता ने, दविविनिलि के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद, डीएफ द्वारा किये जाने वाले व्यय के रूप में ₹ 0.47^१ प्रति युनिट घटा दिये एवं आगरा शहर के लिये शुद्ध राजस्व प्राप्ति दर ₹ 1.27 प्रति युनिट निर्धारित हुयी। उद्धृत की गयी ₹ 1.54 प्रति युनिट की दर की शुद्ध राजस्व प्राप्ति दर ₹ 1.27 प्रति युनिट की दर से तुलना की गयी और ₹ 1.54 प्रति युनिट की निगोशिएटेड दर पर टीपीएल को प्रदान करने को न्यायोचित ठहराया गया। ईटीएफ ने दिनांक 25 फरवरी 2009 की अपनी मीटिंग में इसे अनुमोदित कर दिया।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3.6.5 हमने (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012) के दौरान प्रस्ताव के लिए आग्रह (आरएफपी) और परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये सहयोगी आँकड़े, डीएफ अनुबन्ध और इसका अनुपूरक अनुबन्ध, 1 अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 तक के बिलिंग अभिलेखों का परीक्षण किया। हमारे प्रेक्षणों की उत्तरवर्ती प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

अवास्तविक आँकड़ों के आधार पर इनपुट एनर्जी रेट को अन्तिम रूप देना

3.6.6 परामर्शदाता द्वारा बनाये गये आरएफपी प्रोजेक्शन में सम्मिलित डाटा समुच्चय, निविदा मूल्यांकन के दौरान विचार किये गये आँकड़े और बाद में दविविनिलि के मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये आँकड़ों को नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है:

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इनपुट एनर्जी (एमयू)	1270.02	1902.38	1409.160	1368.511	1829.648	1829.648
2.	बिक्रीत एनर्जी (एमयू)	911.1	1431.05	1009.418	968.769	1317.395	1009.000
3.	बिक्रीत युनिट के लिए बिल किया गया राजस्व (₹ करोड़ में)	256.85	403.21		269.90	384.05	413.83
4.	बिलिंग के विरुद्ध प्राप्त किया गया राजस्व (₹ करोड़ में)	211.49	345.67		238.24		331.66**
5.	पारेषण एवं वितरण हानियाँ (प्रतिशत)	28.22	24.78	28.37	29.21	28.00	44.85
6.	संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	82.34	85.73		88.27		77.24
7.	विक्रय की गयी प्रत्येक युनिट पर बिल किया गया राजस्व	2.82	2.82		2.79		4.10
8.	इनपुट एनर्जी के प्रति युनिट पर बिल किया गया राजस्व	2.02	2.12		1.97		2.26
9.	विक्रय की गयी प्रति युनिट पर प्राप्त राजस्व	2.32	2.42		2.46		3.17
10.	प्रति युनिट इनपुट एनर्जी पर प्राप्त राजस्व	1.67	1.82		1.74		1.75

^१ विद्युत कर ₹ 0.09; कर्मचारी, प्रशासन और परियालन व्यय ₹ 0.21 और मीटर किराया और विलम्ब अधिभार भुगतान से सम्बन्धित बकाया और विविध शुल्क ₹ 0.17।

* वाणिज्यिक प्रपत्र।

** ₹ 12.00 करोड़ के विद्युत कर को सम्मिलित करते हुये।

जैसा कि उपरोक्त से विदित होता है कि कम्पनी का वर्तमान निष्पादन स्तर (टीएण्डडी हानियाँ: 28.22 प्रतिशत और संग्रहण दक्षता: 82.34 प्रतिशत) आरएफपी में सम्मिलित था जैसा कि कालम-3 में दर्शाया गया है। परामर्शदाता ने भी, 29.39 प्रतिशत टीएण्डडी हानि एवं 82.34 प्रतिशत संग्रहण दक्षता को लेते हुए 20 वर्ष के लिए संकेतात्मक बीएसटी को प्रोजेक्ट किया था जैसा कि कालम-4 में दर्शाया गया है। निविदा को अन्तिम रूप देते समय आँकड़ों के उपरोक्त समुच्चय पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया। आँकड़ों का एक अलग समुच्चय पुनर्निर्मित कर, टीपीएल द्वारा उद्धृत इनपुट एनर्जी रेट ₹ 1.54 प्रति युनिट को ₹ 1.74 प्रति युनिट से तुलना कर इसे न्यायोचित सिद्ध किया गया, जो कि निम्न कारणों से उचित नहीं था:

- इनपुट एनर्जी पर ₹ 1.74 प्रति युनिट राजस्व वसूली के आँकड़े केवल गैर-सरकारी उपभोक्ताओं से सम्बन्धित थे, जबकि शहर के सरकारी उपभोक्ताओं की बिलिंग की जा रही थी और इनकी राजस्व वसूली इनसे सीधे या सरकार के स्तर पर समायोजन के द्वारा की जा रही थी। अतः, उपभोक्ताओं के इस वर्ग को आँकलन से अलग रखना गैरतार्किक था, क्योंकि इनसे भी राजस्व प्राप्त हो रही थी।
- जैसा कि उपरोक्त सारणी को देखने से विदित होता है कि, दविविनिलि के मुख्य अभियन्ता ने सूचित किया (नवम्बर 2009) कि कम्पनी के सीएस 3/4 के अभिलेख के अनुसार, विक्रय की गयी विद्युत ऊर्जा 1317.395 एमयू थी, जिसे सुधारकर 1009 एमयू किया गया। दिसम्बर 2008 तक विक्रय की गयी ऊर्जा 1009.418 एमयू थी जिसके आधार पर ₹ 1.54 प्रति युनिट की दर फरवरी 2009 में अन्तमीकृत की गयी थी। आँकड़ों में सुधार करने के पश्चात भी, पूरे वर्ष (2008-09) के लिए भी उसी आँकड़े को लेना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिये गये दर को उचित दिखाने के लिए आँकड़ों का समायोजन किया गया है।
- परामर्शदाता द्वारा की गयी गणनाएँ इस मापदण्ड पर आधारित थीं कि प्रथम पाँच वर्षों में टीएण्डडी हानियाँ 14 प्रतिशत तक और संग्रहण दक्षता 90 प्रतिशत तक आ जाए। निविदाकर्ताओं को तदनुसार ही अपनी दर उद्धृत करनी थी और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने की स्थिति में हानि स्वयं वहन करनी थी। सांकेतिक दर जिसे परामर्शदाता द्वारा की गयी गणनाओं से प्राप्त किया गया था, ईटीएफ द्वारा अनुमोदित की गयी थी। टीपीएल की दरों को अन्तमीकृत करते समय, एटीएण्डसी हानियों की धारणा को ले आना, जिसमें कि बिल किये गये अप्राप्त राजस्व की राशि भी समाहित है, ईटीएफ द्वारा अनुमोदित सांकेतिक दर के विरुद्ध था और इससे ईआईईआर भी प्रभावित हुआ और उनके द्वारा ही पुनर्निर्मित आँकड़ों पर ₹ 0.23* प्रति युनिट से कम हो गया।

इस प्रकार, परामर्शदाता और दविविनिलि द्वारा केवल गैर सरकारी उपभोक्ताओं पर ही विचार करना और टीएण्डडी हानि के स्थान पर एटीएण्डसी के अवधारणा को लाने का कार्य वित्तीय बिड के खुलने के बाद किया गया। अतः, दर का अन्तमीकरण परिवर्तित आँकड़ों के आधार पर करना प्रारम्भिक तौर पर ही गलत था और टीपीएल का अनुचित पक्षपात करने जैसा है।

हमने पाया कि प्रथम वर्ष के संकेतात्मक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी) ₹ 1.91** प्रति युनिट था जिसके विरुद्ध ईटीएफ द्वारा अनुमोदित वास्तविक लेवेलाइज्ड दर 20 वर्षों के लिए ₹ 2.12 प्रति युनिट थी। इस बीएसटी दर पर, दविविनिलि उस राजस्व स्तर को बनाए रखता जबकि वह स्वयं उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा का विक्रय कर रहा था। बीएसटी दर से नीचे के दर पर बिड की स्वीकृति स्पष्ट रूप से दविविनिलि के लिए अतिरिक्त हानि थी अतएव इस दर से नीचे की दर की स्वीकृति आर्थिक रूप से एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। हमने 20 वर्ष के संविदा काल के लिए टीपीएल को अवार्ड

* (विक्रीत युनिट के लिये बिल किया गया राजस्व/इनपुट इनर्जी घटायें बिल की गयी राशि के विरुद्ध प्राप्त राजस्व/इनपुट एनर्जी) ₹ 269.90 करोड़/1368.511 एमयू घटायें ₹ 238.24 करोड़/1368.511 एमयू = ₹ 0.23।

** (प्रति युनिट औसत इनपुट एनर्जी पर बिल किये गये राजस्व की राशि: ₹ 2.12 प्रति युनिट घटायें डीएफ द्वारा किये जाने वाले व्यय: ₹ 0.21 प्रति युनिट = ₹ 1.91 प्रति युनिट)।

की गयी दर ₹ 1.54 प्रति युनिट से ₹ 2.23 प्रति युनिट तक की तुलना परामर्शदाता द्वारा अभिकल्पित संकेतात्मक रिजर्व इनपुट की दरों (बीएसटी) ₹ 1.91 प्रति युनिट से ₹ 2.38 प्रति युनिट से की, और पाया कि दविविनिलि को मार्च 2012 तक ₹ 156.50 करोड़ की पहले ही अतिरिक्त हानि हो चुकी थी और यह हानि संविदा काल के समाप्त होने तक बढ़कर ₹ 636.39 करोड़ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ हो जायेगी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि प्रथम वर्ष की आरक्षित कीमत ₹ 1.91 प्रति युनिट और 20वें वर्ष की ₹ 2.12 प्रति युनिट का मूल आधार ही गलत अवधारणा पर आधारित था। यह भी बताया गया कि कोई भी बोलीदाता अपना इनपुट रेट परामर्शदाता द्वारा आंकलित किये गये इनपुट रेट के स्तर तक ले जाने को तैयार नहीं था अतएव टीपीएल की निविदा स्वीकार की गयी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि आरएफपी में दर्शाये गये आँकड़े और परामर्शदाता द्वारा आँकलित आरक्षित दरें भ्रामक थीं और गलत अवधारणाओं पर आधारित थीं तो बिडिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ही निरस्त किया जाना चाहिये था और सही किये गये आँकड़ों के आधार पर एक नई निविदा को आमंत्रित करने की प्रक्रिया की शुरुआत करनी चाहिये थी। आगे, 23 अगस्त 2012 को प्रबन्धन ने 2008-09 के लेखाओं में स्वयं टीएण्डडी हानियों को 25.65 प्रतिशत बताया साथ ही इसे यूपीईआरसी को भी आने वाले वर्षों के टैरिफ निर्धारण हेतु सूचित किया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि परामर्शदाता द्वारा कम्पनी के सीएस 3/4 के आधार पर स्थापित किये गये मापदण्ड सत्यता के बहुत निकट थे।

कर्मचारी लागत का अनावोषण

3.6.7 आरएफपी का उपवाक्य संख्या 3.3.4 यह प्रावधानित करता है कि दविविनिलि अपने कर्मचारियों को डीएफ के यहाँ प्रतिनियुक्ति हेतु इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृति देगा कि डीएफ के रोजगार के वही नियम और शर्तें होंगी जैसा कि दविविनिलि/यूपीपीसीएल के प्रतिनियुक्ति की नियम और शर्तें डीएफ अनुबन्ध के परिशिष्ट-6 में वर्णित हैं। डीएफ अनुबन्ध की आर्टिकल 12.1 प्रावधान करती है कि दविविनिलि ऐसे कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो कि प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक हैं। अतः, डीएफ को इच्छुक कर्मचारियों की सूची से कर्मचारी चुनने की स्वतंत्रता होगी। डीएफ को बिना कारण बताये किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने या न लेने का अधिकार होगा। हमने अवलोकित किया कि परामर्शदाता द्वारा 20 वर्ष के ईआईईआर ₹ 1.91 से ₹ 2.38 प्रति युनिट की गणना, ₹ 0.21 से ₹ 0.32 प्रति युनिट के व्यय को घटाने के बाद, की गयी थी जिसमें 20 वर्षों के लिये कर्मचारियों की लागत (₹ 0.08 से ₹ 0.17 प्रति युनिट) भी सम्मिलित थी, जो कि ₹ 709.35 करोड़ बनती है। डीएफ दविविनिलि के कर्मचारियों को अवशोषित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, दविविनिलि को उनका भार अपने ही स्रोतों से वहन करना पड़ रहा है। दरों को अन्तिम रूप देते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया, परिणामस्वरूप, मार्च 2012 तक दविविनिलि को ₹ 31.99 करोड़ का वित्तीय भार वहन करना पड़ा था जो कि संविदा कालखण्ड के समाप्त होने तक बढ़कर ₹ 703.95 करोड़ हो जायेगा। अतः, व्यय के मद में डीएफ को मान्य किया गया ₹ 0.21 प्रति युनिट से ₹ 0.32 प्रति युनिट का व्यय बहुत अधिक था और कर्मचारियों का अवशोषण न किये जाने के कारण ₹ 0.08 प्रति युनिट से ₹ 0.17 प्रति युनिट की दर से घटाकर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता थी। आवश्यक जानकारी के अभाव में हम डीएफ की वास्तविक कर्मचारी लागत की गणना करने में सक्षम नहीं हो सके। तथापि, यह स्पष्ट है कि अन्तिम दरों की गणना करते समय इस तथ्य की उपेक्षा की गयी थी जिसकी परिणति डीएफ को अनुचित पक्षपात के रूप में हुयी और फलस्वरूप दविविनिलि को ₹ 703.95 करोड़ के भार वहन के अतिरिक्त आवर्ती हानि होती रहेगी जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि आगरा शहर में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र क्षेत्रीय इकाइयों में कर दिया गया है, जहाँ उनकी आवश्यकता थी। हम महसूस करते हैं कि प्रबन्धन को कोशिश करनी चाहिये थी कि कर्मचारियों का समायोजन टीपीएल के साथ हो सके जिससे कि कम्पनी की स्थापना भार को कम किया जा सके क्योंकि बीएसटी ₹ 1.91 प्रति युनिट से ₹ 2.38 प्रति युनिट की गणना, स्थापना लागत, जो कि 20 वर्षों के संविदा काल में ₹ 703.95 करोड़ है, को घटाने के

बाद की गयी थीं। यदि कर्मचारियों का समायोजन नहीं हो सकता था तो निगोशिएशन कर के ऊँची बीएसटी दर प्राप्त करनी चाहिये थी।

एटीआर में अनौचित्यपूर्ण परिवर्तन से हुई हानि

3.6.8 अनुबन्ध का आर्टिकल 2.1.3.4 आधार वर्ष 2008-09 के औसत टैरिफ रेट (एटीआर) के निर्धारण के लिए व्यवस्था देता है जिससे कि आर्टिकल 7 के अन्तर्गत बिलिंग किया जा सके। तदनुसार, दविविनिलि के अधिकारियों और डीएफ के एक संयुक्त टीम ने आधार वर्ष के लिए एटीआर का निर्धारण ₹ 4.10 प्रति युनिट किया (अक्टूबर 2009)।

टीपीएल और दविविनिलि के आपसी सहमति के आधार पर, दिसम्बर 2009 को आयोजित मीटिंग में ईटीएफ ने निम्न निर्णय लिया:

- आँकड़ों में त्रुटि के तत्व को ध्यान में रखते हुए, ₹ 3.98 प्रति युनिट एटीआर का निर्धारण आपसी सहमति से हुआ। इसी आधार पर विद्युत वितरण कार्य डीएफ को सौंपा जाना था।
- आगामी वर्षों में एटीआर में वृद्धि होने पर, एटीआर में वृद्धि का लाभ टैरिफ इन्डेक्स अनुपात (टीआईआर*) के माध्यम से दविविनिलि को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
- वर्ष 2008-09 के लिए एटीआर में वृद्धि की गणना संग्रहण दक्षता के सन्दर्भ में की जायेगी और 20 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के एनर्जी इनपुट में जोड़ दी जायेगी और दविविनिलि को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

तदनुसार, दविविनिलि व डीएफ के मध्य हुये अनुपूरक समझौते में (मूल अनुबन्ध के उपवाक्यों में) उपरोक्त निर्णय को समाहित किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- आर्टिकल-2.1.3.4 में प्रावधान था कि यदि आधार वर्ष का एटीआर, गणना करने पर ₹ 3.98 प्रति युनिट से ज्यादा आता है, तो ₹ 3.98 प्रति युनिट की राशि अपरिवर्तनीय रहेगी, परन्तु यदि आगणित आधार वर्ष का एटीआर ₹ 3.98 प्रति युनिट से कम है तो उसी राशि को ही आधार वर्ष का एटीआर माना जायेगा।
- आर्टिकल-7.1.1, जो कि मासिक बीजक (बिलिंग) से सम्बन्धित है, व्याख्या प्रदान करता है कि बिल किये गये महीने के एटीआर का टीआईआर से गुणा करके, उस महीने विशेष के लिए प्रभावी इनपुट रेट निकाला जायेगा।
- आगे, ईटीएफ के निर्णय के सन्दर्भ में, यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए एटीआर की गणना कर टैरिफ पुनरीक्षण के लाभ को हस्तान्तरित करना था क्योंकि 2009-10 में टैरिफ पुनरीक्षण नहीं हुआ था।

हमने पाया कि उपरोक्त निर्णय गलत रूप से बिलिंग करने हेतु लागू किया गया जो कि निम्नवत् है:

- वर्ष 2009-10 के लिए एटीआर ₹ 4.73 प्रति युनिट की गणना की गयी। इस एटीआर को आनुपातिक रूप से घटाकर ₹ 4.59* प्रति युनिट किया गया। इस कम किये गये ₹ 4.59 प्रति युनिट एटीआर को, ₹ 3.98 प्रति युनिट के स्थान पर दिनांक 15 अप्रैल 2010 से गलत रूप से आधार वर्ष का एटीआर माना गया जो कि अनुपूरक अनुबन्ध के आर्टिकल 2.1.3.4 के विरुद्ध था।
- आधार वर्ष के एटीआर की अधिक राशि लेकर बिलिंग करने पर यह प्रभाव हुआ कि टीआईआर[∞] निरन्तर रूप से कम बना रहेगा, परिणामस्वरूप अनुबन्ध के सम्पूर्ण कालखण्ड के दौरान दविविनिलि को आवर्ती हानि होती रहेगी।
- वर्ष 2009-10 का टैरिफ पुनरीक्षण यूपीईआरसी में लम्बित था। यूपीईआरसी द्वारा नया टैरिफ दिनांक 15 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अतएव,

* टीआईआर= वर्तमान एटीआर/आधार वर्ष का एटीआर

* (4.73 x 3.98/4.10)=4.59

[∞] (4.85/4.59=1.06) एवं (4.85/3.98=1.22)

2010-11 में एटीआर राशि ₹ 4.85 प्रति युनिट में हुयी वृद्धि को, इनपुट एनर्जी रेट में हुयी वृद्धि की गणना करने में विचार करना चाहिये था। हमने पाया कि दविविनिलि ने अनुचित रूप से ₹ 0.51 के स्थान पर ₹ 0.26 की वृद्धि को स्वीकार कर लिया जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:

fooj.k	vkj, Qih ds mi oD; ds vuq kj	₹ ea	vuqjd vuqj/k ds vuq kj	₹ ea
एटीआर में वृद्धि	4.85-3.98	0.87	4.73-4.10*	0.63
घटायें: टीएण्डडी हानि	28.22	0.25	44.85	0.28
टीएण्डडी हानि के बाद एटीआर में वृद्धि	--	0.62	--	0.35
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	82.34	--	74.77	--
दक्षता के बाद एटीआर में वृद्धि	--	0.51	--	0.26

हमने पाया कि:

- दविविनिलि ने टीएण्डडी हानि 28.22 प्रतिशत और संग्रहण क्षमता 82.34 प्रतिशत के आरएफपी में दिये गये मूल आँकड़ों के स्थान पर टीएण्डडी हानि 44.85 प्रतिशत और संग्रहण क्षमता 74.77 परिवर्तित आँकड़ों* को अभिसूचित किया। हमने देखा कि 28.22 और 82.34 प्रतिशत के आँकड़े, यूपीईआरसी को प्रेषित टीएण्डडी के आँकड़ों से और यूपीपीसीएल एवं दविविनिलि के लेखा प्रपत्र के आँकड़ों से एकरूपता रखते हैं।

ये आँकड़े लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रेषित किये गये आँकड़ों के समरूप है। अतएव टीएण्डडी हानि का 44.85 प्रतिशत और संग्रहण क्षमता का 74.77 प्रतिशत के आँकड़ों का न तो कोई आधार और न तो कोई तर्कसंगतता है।

अतार्किक और आधारविहीन आँकड़ों के अंगीकरण ने एटीआर में हुयी वृद्धि की गणना को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और जिसकी परिणति कम्पनी को हानि के रूप में हुयी।

- अनुपूरक अनुबन्ध मार्च 2010 में हस्ताक्षरित हुए और कार्य का हस्तान्तरण 1 अप्रैल 2010 को हुआ। अतएव, ₹ 4.73 प्रति युनिट का अंगीकरण गलत था क्योंकि यह वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित था जिस दौरान टैरिफ पुनरीक्षित नहीं हुआ था। यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित रिवाइज टैरिफ 15 अप्रैल 2010 से लागू हुआ अतः वर्ष 2010-11 के लिये ₹ 4.85 प्रति युनिट का एटीआर टैरिफ दर में हुयी वृद्धि को गणना के लिए उपयोग में लाना चाहिये था।

अतः, ₹ 3.98 प्रति युनिट के स्थान पर ₹ 4.59 प्रति युनिट को आधार वर्ष के एटीआर को गलत रूप से स्वीकार करके और ₹ 0.51 के स्थान पर ₹ 0.26 प्रति युनिट की एटीआर में वृद्धि प्रदान करके, दविविनिलि ने मार्च 2012 तक ₹ 232.63 करोड़ की हानि वहन की और यह अगले 18 वर्षों में बढ़कर ₹ 3,681.90 करोड़ $\frac{1}{4}$ f j f k ' V & 17 \frac{1}{2} हो जायेगी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि आधार वर्ष एटीआर में परिवर्तन, अनुपूरक अनुबन्ध के आर्टिकल 2.1.3.4 की आख्या के अनुरूप थी। आर्टिकल 2.1.3.4 में यह व्यवस्था दी गयी थी कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये टैरिफ पुनर्निर्धारण होना था और पुनर्निर्धारण के बाद, आधार वर्ष टैरिफ की गणना की जायेगी और नया आधार वर्ष टैरिफ ₹ 3.98 के अनुपात में समायोजन करने के बाद सम्पूर्ण संविदा काल के लिये निर्धारित कर दिया जायेगा। हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अनुपूरक अनुबन्ध का आर्टिकल 2.1.3.4 स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है कि "यदि आधार वर्ष का एवरेज टैरिफ लेखापरीक्षा के बाद ₹ 3.98 प्रति युनिट से अधिक आगणित होता है तो ₹ 3.98 प्रति युनिट की राशि यथावत रहेगी और यदि आगणित आधार वर्ष टैरिफ ₹ 3.98 प्रति युनिट से कम है तो उसे ही आधार वर्ष टैरिफ के रूप में लिया जायेगा"। पुनः, परामर्शदाता द्वारा बीएसटी की गणना और टीपीएल को प्रदत्त किये गये दरों की गणना मूल रूप से ₹ 3.98 प्रति युनिट के एटीआर दर पर आधारित थी। आधार वर्ष के एटीआर में किसी भी बढ़ोत्तरी का प्रभाव यह होगा कि सम्पूर्ण संविदा काल में, बिलिंग कम दर पर होगी जो कम्पनी के वित्तीय हित के लिये नुकसानदायक होगा।

* 2009-10 का एटीआर ₹ 4.73 प्रति युनिट है और आँकड़ों की त्रुटि के विचार करने के पहले 2008-09 का एटीआर ₹ 4.10 है। आँकड़ों की त्रुटि का विचार करने के बाद ये आँकड़े क्रमशः ₹ 4.59 प्रति युनिट और ₹ 3.98 प्रति युनिट लिये गये हैं।

• 4 नवम्बर 2009 को।

डीएफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

3.6.9 हमने डीएफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन आईबीडीएफएस में निर्दिष्ट उद्देश्यों के सन्दर्भ में किया और पाया कि उद्देश्य पूरे नहीं किये जा सके हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है:

एटीएण्डसी हानियों का अपेक्षानुरूप कम न होना

3.6.10 संविदा का आर्टिकल 5.8 यह आख्या देता है कि डीएफ प्रभावी तिथि से सात वर्ष के अन्दर ही 15 प्रतिशत एटीएण्डसी* हानियों (सुत्रानुसार* आगणित) के स्तर को प्राप्त कर लेगा। यदि डीएफ सात वर्षों के भीतर एटीएण्डसी हानियों के इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहता है तो राजस्व हानि के 10 प्रतिशत के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली, लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारण, डीएफ से की जायेगी।

हमने देखा कि उपरोक्त शर्त के कारण डीएफ इस स्थिति में होगा कि वह मात्र 10 प्रतिशत अर्थदण्ड देकर किसी भी स्तर तक एटीएण्डसी हानियों को कर सकेगा। यह शर्त दविविनिलि के हितों के विरुद्ध है और इस की पुष्टि इस बात से होती है कि 2010-11 में डीएफ ने एटीएण्डसी हानियों को 61.44 प्रतिशत तक किया जबकि डीएफ द्वारा कार्य शुरू करने के पूर्व यह 58.77 प्रतिशत के स्तर पर था।

हमने पुनः यह अवलोकित किया कि वितरण नेटवर्क को सौंपे जाने के पूर्व टीएण्डडी हानियों को 44.85 प्रतिशत के स्तर पर विचार किया गया जो कि अपने आप में ही आरएफपी में निर्दिष्ट 28.22 प्रतिशत से 58.93 प्रतिशत ज्यादा है। डीएफ द्वारा कार्य शुरू करने के बाद टीएण्डडी हानियाँ जैसा कि डीएफ द्वारा दर्शाया गया है बढ़कर 2010-11 में 53.87 प्रतिशत और 2011-12 में (अक्टूबर 2011 तक) 50.37 प्रतिशत हो गयी जो आरएफपी में निर्दिष्ट 28.22 प्रतिशत से 90.89 प्रतिशत और 78.49 प्रतिशत अधिक है। आरएफपी में निर्दिष्ट टीएण्डडी हानियों के आँकड़े यूपीईआरसी और लेखापरीक्षा को दिये गये आँकड़ों के समरूप थे। यह संकेत करता है कि डीएफ द्वारा टीएण्डडी हानियों को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि सात वर्ष का समय अभी व्यतीत नहीं हुआ है अतः इस तथ्य को अभी नहीं उठाना चाहिये। हम इस उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सातवें वर्ष के अन्त तक हानियों में हुयी कमी की उपलब्धि प्रत्येक वर्ष के हानियों के कमी के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिये जो कि डीएफ को नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य था।

परामर्शदाता की भूमिका

3.6.11 व्यावसायिक नैतिकता के अनुसार परामर्शदाता को उचित दृष्टिकोण सामने लाना चाहिये जो कि उसके ग्राहक के अधिकतम हित में हो। उसकी प्रतिवेदन स्वतंत्र और ग्राहक द्वारा सत्यापित आँकड़ों और जानकारी पर आधारित होना चाहिये। यह बात महत्वहीन है कि उसका ग्राहक अपना निर्णय इस प्रतिवेदन के आधार पर लेता है या किसी पक्ष की अपेक्षा कर देता है।

हमने विश्लेषणात्मक तरीके से प्रतिवेदन का परीक्षण किया और आईबीडीएफएस में सन्निहित उद्देश्यों से इसकी समरूपता को जाँचा, जिसमें निम्नलिखित कमियाँ दृष्टिगोचर हुयीं:

- परामर्शदाता द्वारा प्रथम वर्ष के लिए ₹ 1.91 प्रति युनिट सांकेतिक रिजर्व इनपुट एनर्जी रेट (बीएसटी) और 20वें वर्ष के लिये ₹ 2.38 प्रति युनिट की गणना की गयी थी। इन दरों की गणना वितरण व्ययों जिसमें कि कर्मचारी लागत भी सम्मिलित है, को घटाने के बाद की गयी थी। दविविनिलि के कर्मचारी लागत को लिया गया था। यदि दविविनिलि के कर्मचारी टीपीएल में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाते हैं, उस स्थिति में, कर्मचारी लागत की गणना अलग से नहीं की गयी थी। चूँकि अन्ततः टीपीएल ने दविविनिलि के कर्मचारियों को

* तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि और बिल की गयी राशि के प्राप्त न होने से हुयी कुल कमी।

• कुल एनर्जी इनपुट घटायें एनर्जी प्राप्त / कुल एनर्जी इनपुट x 100, जहाँ एनर्जी प्राप्त से तात्पर्य है एनर्जी का विक्रय x संग्रहण क्षमता।

प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया, टीपीएल के वास्तविक कर्मचारी लागत की गणना न करने से टीपीएल को अनुचित लाभ मिला जैसा कि प्रस्तर 3.6.7 में वर्णित है।

- बीएसटी की गणना इस अवधारणा पर आधारित थी कि 20वें साल के अन्त तक संग्रहण दक्षता में सुधार के साथ-साथ टीएण्डडी हानियाँ घटकर 11 प्रतिशत हो जायेंगी। 20वें साल के अन्त तक, जैसा कि परामर्शदाता द्वारा अभिप्रेषित प्रोजेक्शन में दर्शाया गया है, कार्य निष्पादन संकेतक प्राप्त कर लिये जायें, उस समय तक क्या दविविनिलि इस स्थिति में आ पायेगा कि वह ऊर्जा की क्रय लागत वसूल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसे प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं किया गया है।
- आरएफपी में दिये गये आँकड़ों और दरों के आधार पर निविदादाताओं ने अपनी दरें उद्धृत की थीं। बिड के अन्तमीकरण के दौरान, नये आँकड़े संरचित किये गये और टीपीएल द्वारा उद्धृत किये गये दरों को न्यायसंगत ठहराने के लिए उपयोग में लाये गये। परामर्शदाता ने नये संरचित आँकड़ों के आधार पर किये गये मूल्यांकन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विचार नहीं किया और न ही यह सलाह दी कि बिड को निरस्त किया जाय और नये आँकड़ों के आधार पर नई बिड प्रक्रिया शुरू की जाये।
- तकनीकी बिड को 24 फरवरी 2009 को और वित्तीय बिड को 25 फरवरी 2009 को खोला गया और ईटीएफ द्वारा अनुमोदन 25 फरवरी 2009 को किया गया। तीन निविदादाता सम्मिलित हुये। हमारे विचार से इतने गहराईपूर्ण और जटिल विश्लेषण के लिए एक दिन अपर्याप्त था। अतः, लगाया गया संक्षिप्त समय मूल्यांकन की गुणवत्ता और परामर्शदाता द्वारा बरती गयी सावधानी पर प्रश्न उठाता है। परामर्शदाता के प्रतिवेदन के कमियों की वजह से हानियाँ हुयीं जैसा कि पूर्व वर्णित प्रस्तर संख्या 3.6.5 से 3.6.8 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बिड मूल्यांकन प्रक्रिया और अनुपूरक अनुबन्ध में अनियमितता होने के कारण साथ ही साथ ईटीएफ की अनुशंसाओं से विचलन करने के कारण मार्च 2012 तक ₹ 421.12 करोड़ की हानि हो चुकी है जो कि अनुबन्ध के शेष 18 वर्षों* में बढ़कर ₹ 4,601.12 करोड़ हो जायेगी, इसके अतिरिक्त, जबकि एटीएण्डसी हानियों को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj i nsk jkT; fo | r mRi knu fuxe fyfeVM

3.7 I kefx; ka ds Ø; ij i fjgk; Z0; ;

vkckj k fey i koj lyk.V dh ; fuV&8 ds i quzh; u , oa vk/kfudhdj.k ds vufpr fu; kstu ds ifj.kkeLo: i I kefx; ka dh [kjhn ij ₹ 31-88 djkm+ dk ifjgk; Z0; ; gq/kA

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अन्तर्गत, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन की पहल की तथा विद्यमान थर्मल पावर संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जाँच का कार्य एक कार्यदल को सौंपा। कार्यदल की सिफारिशों में एक सिफारिश XI योजना (2007-12) में, उन सभी पुराने छोटे आकार के संयंत्रों जिनकी परिचालन दक्षता काफी निम्न स्तर पर थी, की सेवानिवृत्ति विचारणीय थी।

तदनुसार, केन्द्रीय विद्युत आयोग (सीईए) ने XI योजना के दौरान सेवानिवृत्ति योग्य युनिटों का पता लगाने की पहल शुरू की तथा; कार्यदल की सिफारिशों के अनुरूप अगले 10 वर्षों की समयवधि में सभी नान-रीहीट 100 एमडब्ल्यू या उससे कम रेटिंग की युनिटों को चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किए जाने की कसौटी तय की। एक

* जो ₹ 0.72 करोड़ प्रतिदिन की हानि से अगले 18 वर्षों के लिये है।

शर्त के अनुसार उन युनिटों को जो पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) की क्रियाओं के पश्चात् अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, आरएण्डएम की तिथि से 10 वर्षों तक प्रचालित रखी जा सकती थीं।

उपर्युक्त कसौटियों की पुष्टि करते हुये, सीईए ने (अगस्त 2009) राज्य सरकार यूपी, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) को ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की युनिट-7 एवं 8 (प्रत्येक 100 एमडब्ल्यू की) को वर्ष 2011-12 में बन्द करने का निर्देश निर्गत किया और 7 सितम्बर 2009 तक इस प्रकरण पर टिप्पणियाँ/दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को कहा। इसके उत्तर में, कम्पनी ने (22 सितम्बर 2009) सीईए को सूचित किया कि युनिट-7 और 8 क्रमशः वर्ष 1973 एवं 1975 में स्थापित हुयी थीं। यद्यपि की यह युनिटें नान-रीहीट प्रकार की थीं और अपना उपयोगी जीवन जी चुकी थी; लेकिन राज्य में ऊर्जा संकट को देखते हुये इन युनिटों का आवश्यकता आधारित आरएण्डएम करना जरूरी था जिससे कि ये अगले पाँच वर्षों या अधिक के लिये 60 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर पर विद्युत उत्पादित करने में समर्थ हो सकें।

चूँकि इन युनिटों का आवश्यकता पर आधारित आरएण्डएम शुरू किया जा चुका था और इसके लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) को कार्यादेश (एलओआई) दिया जा चुका था, XI योजना में इन युनिटों की सेवानिवृत्ति पर विचार इस समय सम्भव नहीं था।

कम्पनी, हालाँकि, दोनों युनिटों (युनिट 7 एवं 8) के आरएण्डएम का कार्य ₹ 130 करोड़ की अनुमानित लागत पर 4 दिसम्बर 2009 की प्रभावी तिथि से क्रमशः 23 माह एवं 31 माह में कार्य समाप्ति की प्रत्याशा से बीएचईएल को (मई 2009) प्रदान कर चुकी थी। बीएचईएल ने अक्टूबर 2009 से सामग्रियों की आपूर्ति प्रारम्भ की तथा नवम्बर 2012 तक युनिट 8 हेतु ₹ 32.54 करोड़ की सामग्री आपूर्ति की जा चुकी थी।

हमने पाया कि:

- कम्पनी ने मई 2009 में आरएण्डएम कार्य कराने हेतु आदेश निर्गत किये;
- उसने जुलाई 2010 में युनिट-7 के आरएण्डएम कार्य हेतु संयंत्र बन्द किया किन्तु युनिट-8 के आरएण्डएम के लिये संयंत्र को बन्द करने के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में असफल रही।
- कम्पनी सीईए और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को युनिट-8 के आरएण्डएम कार्य कराने की आवश्यकता पर सन्तुष्ट नहीं कर सकी।
- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परामर्शदाता द्वारा युनिट-8 का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन मई 2010 तक देरी के साथ प्रक्रिया में था जो यह दर्शाता है कि मई 2009 में आरएण्डएम कार्य करने हेतु दिये गये आदेशों का निर्णय किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पर आधारित नहीं था।
- सीपीसीबी ने निर्देशित* किया (24 फरवरी 2011) कि चूँकि युनिट-7 से सम्बन्धित कार्य शुरू किया जा चुका था, युनिट-7 के आरएण्डएम कार्य ईएसपी के साथ पूर्ण किया जाये, लेकिन युनिट-8 तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाये, कम्पनी ने जून-2011 में युनिट-8 को बन्द किया।

इस प्रकार, बिना किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन एवं नियोजन के युनिट-8 के आरएण्डएम का कार्य करने के परिणामस्वरूप सामग्रियों के क्रय पर ₹ 31.88 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। बीएचईएल को दिये आदेश को अगस्त/सितम्बर 2009 में रद्द कर इसको बचाया जा सकता था, जब सीईए ने युनिट को बन्द करने हेतु सूचित किया था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि युनिट-7 एवं 8 की आवश्यकता आधारित आरएण्डएम करवाने की आवश्यकता को सीईए को बताया गया था। सीईए ने इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी नहीं दिया। इसी प्रकार, सीपीसीबी ने भी युनिट-7 एवं 8 का आरएण्डएम करवाने की आवश्यकता पर बल दिया था। हालाँकि, सीपीसीबी के निर्देशों पर, जून 2011 में युनिट-8 बन्द कर दी गयी। तथापि, क्रय की गयी सामग्री

* पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अनुपालन में।

के उपयोग के सम्बन्ध में, विभिन्न टीपीएस के साथ पत्राचार किया जा रहा था। पुनः आगे बताया गया (सितम्बर 2012) कि इन सामग्रियों को पारीक्षा एवं पनकी टीपीएस की 110 एमडब्ल्यू की दो युनिटों में उपयोग किया जायेगा।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि जब सीईए ने युनिट को बन्द करने के लिये सूचित (अगस्त 2009) किया था, प्रबन्धन द्वारा युनिट-8 के आरएण्डएम की तकनीकी व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये था। इसने, फिर भी, फरवरी 2010 में देरी से बीएचईएल के साथ आदेशों को निरस्त करने हेतु कहा जब तक बीएचईएल सामग्री की आपूर्ति शुरू कर चुकी थी। तथापि, नवम्बर 2012 तक ₹ 32.54 करोड़ मूल्य की क्रय की गयी सामग्रियों में से, अन्य संयंत्रों में केवल ₹ 66.35 लाख की सामग्री ही प्रयोग में लायी जा सकी। इस प्रकार, बिना उपयुक्त तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के आरएण्डएम का नियोजन और इसके अतिरिक्त युनिट-8 के सम्बन्ध में बीएचईएल के एलओआई को निरस्त करने में प्रबन्धन के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण, ₹ 31.88 करोड़ की सामग्रियों का अनावश्यक क्रय हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.8 एलओआई, स क धि फोई द्क फोईए स वुएल/क फु'ि क्नु

एलओआई, स क धि फोई द्क फोईए स वुएल/क फु'ि क्नु
 एलओआई, स क धि फोई द्क फोईए स वुएल/क फु'ि क्नु
 एलओआई, स क धि फोई द्क फोईए स वुएल/क फु'ि क्नु

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई) की दिनांक 14 सितम्बर 1999 की अधिसूचना के अनुसार, पावर स्टेशनों द्वारा उत्पादित शुष्क फ्लाइंग ऐश को अन्तिम उपभोक्ता द्वारा राख आधारित उत्पादों यथा सीमेन्ट, ईट, पैनल इत्यादि में उपयोग के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अधिसूचना का उक्त खण्ड 10 वर्षों की अवधि 13 सितम्बर 2009 तक मान्य/प्रयोज्य था और उसके पश्चात् पावर स्टेशन वाणिज्यिक आधार पर शुष्क फ्लाइंग ऐश को बेचने के लिये स्वतन्त्र थे।

इन निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने सितम्बर 2006 से अगस्त 2008 के मध्य सभी पाँचों थर्मल पावर स्टेशनों (टीपीएस) द्वारा उत्पादित फ्लाइंग ऐश की उठान हेतु 10 अनुबन्ध निष्पादित किया। अनुबन्ध में प्रावधान था कि फ्लाइंग ऐश की लागत के सम्बन्ध में जीओआई की मार्गदर्शिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा।

वर्ष 1999 की अधिसूचना में संशोधन हेतु एमओईएफ ने 3 अप्रैल 2007 एवं 6 नवम्बर 2008 को ड्राफ्ट अधिसूचना संचारित किया और सुझावों/आपत्तियों को आमंत्रित किया। ये ड्राफ्ट अधिसूचनायें, स्वामियों यथा थर्मल पावर कम्पनियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों द्वारा ऐश के निस्तारण की सम्भावना पर विचार हेतु थी। नवम्बर 2009 में, एमओईएफ ने फ्लाइंग ऐश के निःशुल्क उपलब्ध कराने के अपने पहले की मार्गदर्शिका में संशोधन किया। संशोधित मार्गदर्शिका का प्रस्तर 2(1) अन्य बातों के साथ-साथ थर्मल पावर स्टेशनों को फ्लाइंग ऐश बेचने की स्वतन्त्रता प्रदान करता था।

हमने पाया कि:

- पनकी टीपीएस* एवं पारीक्षा टीपीएस^० के मामले में, कम्पनी ने पूर्व संविदाओं को क्रमशः 11 एवं 12 महीने की देरी के बाद संशोधित (क्रमशः अक्टूबर 2010 एवं नवम्बर 2010) किया। अनुबन्धों को संशोधित करने में इस विलम्ब के कारण कम्पनी

* एसीसी लिमिटेड के पक्ष में ₹ 28 प्रति एमटी की दर पर।

^० युनिट 1 एवं 2 के लिये ग्रिज्म सीमेन्ट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 51 प्रति एमटी की दर पर तथा युनिट 3 एवं 4 के लिये डायमण्ड सीमेन्ट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 75 प्रति एमटी की दर पर।

अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010 की समयावधि में ₹ 0.74 करोड़[⊕] का राजस्व अर्जित करने से वंचित रही।

- ओबरा 'बी' एवं अनपरा टीपीएस की दशा में, कम्पनी ने संविदा की शर्त के प्रावधानों, यथा जीओआई मार्गदर्शिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाध्यकारी होगा, को लागू कराने में असफल रही और फलाई ऐश का निस्तारण निःशुल्क करती रही। उपरोक्त के अतिरिक्त, नवम्बर 2009 की एमओईएफ की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी ने ओबरा 'ए' टीपीएस से उत्पादित फलाई ऐश को, जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को, निःशुल्क उठाने हेतु, पुनः अनुमोदन (मार्च 2010) प्रदान किया जबकि अन्य टीपीएस में कम्पनी फलाई ऐश के विक्रय द्वारा राजस्व अर्जित कर रही है। ऐसा करके कम्पनी अप्रैल 2010 से सितम्बर 2012 की समयावधि के दौरान ₹ 1.30 करोड़[⊖] का राजस्व अर्जित करने के अवसर से वंचित रही।

प्रबन्धन की समय से संविदाओं में संशोधन करने और ओबरा एवं अनपरा टीपीएस के सम्बन्ध में फलाई ऐश का विक्रय मूल्य निर्धारित करने में अक्रियाशीलता के कारण, कम्पनी ₹ 2.04 करोड़[⊗] के राजस्व उपार्जन के अवसर से वंचित रही। ओबरा एवं अनपरा के सम्बन्ध में हानि संविदा की शर्तों में संशोधन होने की अवधि तक जारी रहेगी।

प्रकरण कम्पनी/शासन को प्रतिवेदित किया गया (8 फरवरी 2013); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (फरवरी 2013)।

10000 fo | r forj .k fuxe fyfeVM

3.9 fu/kkjr dVsh dk; De dks i Hkkoh djus ea fuf'Ø; rk ds dkj .k jktLo dh ol yh u gks i kuk

l j {kkRed Hkkj ds fy; s mi HkkDrk ds fyf [kr fosYi ds vHko ea [k.M us vi uh fo | r vki firz ij fu/kkjr dVsh dk; De i Hkkoh ugha fd; kA i fj .kLo: lk mi HkkDrk us fu/kkjr dVsh dk; De dh vof/k ds njs ku ÅtkZ dk vkjg .k tkjh j [kk vS l j {kkRed Hkkj 'kyd ₹ 1-13 djkm+ dh ol yh ugha gks l dhA

दर अनुसूची के पैरा 12 के अनुसार (27 अप्रैल 2008 से प्रभावी), उपभोक्ता जो उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 केवी या अधिक वोल्टेज के स्वतन्त्र पोषकों से आपूर्ति पा रहे हैं, संरक्षात्मक भार की सुविधा को चुन सकते हैं और आपातिक कटौती* को छोड़कर अनुज्ञापिधारी द्वारा लागू निर्धारित कटौती* कार्यक्रम की अवधि के दौरान आपूर्ति पा सकते हैं। प्रतिमाह निर्धारित आधार माँग शुल्क* का 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, प्रत्येक माह के अनुबन्धित संरक्षात्मक भार पर उद्गृहीत होगा।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-IV (खण्ड) का उपभोक्ता बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी (बीएचयू), का अनुबन्धित भारत 10 एमवीए तथा 11 केवी पर कटौती मुक्त आपूर्ति थी। अप्रैल 2008 में संरक्षात्मक भार का प्रावधान लागू हो जाने के बाद, खण्ड ने संरक्षात्मक भार का अनुबन्ध करने हेतु उपभोक्ता से निवेदन (मई 2008) किया। उपभोक्ता ने अप्रैल 2008 से 23 मार्च 2009 की समयावधि के लिये संरक्षात्मक भार हेतु अनुबन्ध नहीं किया। उसने हालाँकि 33/11 केवी से स्विच करके 132 केवी उपकेन्द्र से आपूर्ति करने हेतु निवेदन किया और 24 मार्च 2009 को अनुबन्ध किया। 27 मई 2009 को उपभोक्ता की आपूर्ति 132

⊕ ₹ 28 प्रति एमटी की दर पर गणना (जुलाई 2011 में सभी टीपीएस में रही निम्नतम विक्रय दर पर) पनकी टीपीएस से 52,794 एमटी एवं पारीछा टीपीएस से 2,11,430 एमटी की निःशुल्क उठान पर जोकि क्रमशः 6 और 7 माह विलम्ब के कारण रही।

⊖ ₹ 28 प्रति एमटी की दर पर गणना (जुलाई 2011 में सभी टीपीएस में रही निम्नतम विक्रय दर पर) ओबरा टीपीएस से 4,01,379 एमटी एवं अनपरा टीपीएस से 61,174 एमटी फलाई ऐश की निःशुल्क उठान पर।

⊗ ₹ 0.74 करोड़ जोड़ ₹ 1.30 करोड़ संशोधित मार्गदर्शिका के निर्गमन के बाद संविदाओं में संशोधन हेतु 5 माह की अवधि की अनुमति देने के पश्चात।

* अनुज्ञापिधारी या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निर्धारित विद्युत आपूर्ति के घण्टों के कार्यक्रम में किया गया भार अवरोध।

† कर्मचारी और उपकरण की सुरक्षा के लिये संक्षिप्त नोटिस पर असंयोजन करके किया गया भार अवरोध।

‡ बिलिंग अवधि के लिये माँग प्रभार से आशय अधिकतम माँग या संविदात्मक भार का 75 प्रतिशत, दोनों में जो भी अधिक दरें पर आधारित उपभोक्ता पर उद्गृहीत प्रभार से है। आधार दर (एचवी-2 टैरिफ के सन्दर्भ में पढ़ने पर) से आशय मूल माँग एवं ऊर्जा प्रभार से है जिन पर टाइम आफ डे (टीओडी) दरें प्रभावी होती हैं।

केवी उपकेन्द्र से संयुक्त की गयी। खण्ड ने संरक्षात्मक शुल्क के विरुद्ध मई 2008 से जनवरी 2010 की समयावधि के लिये ₹ 1.83 करोड़ का प्रथम बिल जारी (जनवरी 2010) किया। उपभोक्ता ने संरक्षात्मक भार शुल्क का भुगतान 27 मई 2009 (132 केवी उपकेन्द्र से संयोजन की तिथि) से किया तथा खण्ड से उक्त तिथि के पूर्व की अवधि का संरक्षात्मक भार शुल्क न उद्गृहीत करने का इस बहाने पर अनुरोध किया कि अधिभारिता के कारण वह निर्बाध आपूर्ति का उपयोग नहीं कर सका।

हमने पाया (मार्च 2011) कि संरक्षात्मक भार के लिये उपभोक्ता के लिखित विकल्प के अभाव में, उपभोक्ता पर निर्धारित कटौती⁹⁰ कार्यक्रम को प्रभावी नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा निर्धारित कटौती कार्यक्रम अवधि के दौरान 24 घण्टे ऊर्जा का आहरण जारी रखा गया और 27 अप्रैल 2008 से 26 मई 2009 की समयावधि का संरक्षात्मक भार शुल्क ₹ 1.13 करोड़ उपभोक्ता से वसूला नहीं जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि अप्रैल 2008 से मई 2009 की समयावधि का संरक्षात्मक भार अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु उपभोक्ता से कठिनतम प्रयास किया गया लेकिन उपभोक्ता ने अभी तक अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया है।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि संरक्षात्मक भार अनुबन्ध निष्पादित करने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर उपभोक्ता को निर्बाध आपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए थी और अन्य उपभोक्ताओं के समान सामान्य कटौती पर रखा जाना चाहिये था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.10 एलटी मीटरों के लिए उच्च दाब (एचटी) भार के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) और उच्च दाब (एचटी)/अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) भार के लिए सर्किट ब्रेकर (सीबी), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित समुचित रेटिंग और विशिष्ट के मीटर के साथ उपभोक्ता के व्यय पर संस्थापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने स्पष्ट किया (जुलाई 2010) था कि उपभोक्ताओं के परिसर में संस्थापित मीटर की लागत उपभोक्ताओं से वसूल की जानी थी।

हमने पाया (फरवरी 2011) कि कम्पनी के मिर्जापुर मण्डल ने व्यवसाय योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत सोनभद्र जिले में स्टोन क्रशर उपभोक्ताओं के एलटी मीटरिंग सिस्टम को एचटी मीटरिंग में बदलने हेतु चार पैकेज स्वीकृत किये। विद्युत परीक्षण खण्ड, मिर्जापुर द्वारा जुलाई से दिसम्बर 2010 तक व्यवसाय योजना के अन्तर्गत कम्पनी के स्वयं के कोष द्वारा कार्य का निष्पादन कराया गया जबकि संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं के मीटरिंग सिस्टम एलटी से एचटी पक्ष में बदलने की लागत सम्बन्धित उपभोक्ताओं से वसूल की जानी थी।

प्रबन्धन ने (दिसम्बर 2012) बताया कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करने के लिए व्यवसाय योजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किया गया था। निम्न तथ्यों को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- आपूर्ति संहिता का पैरा 3.3. (ब) बताता है कि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो उपभोक्ता को उच्च वोल्टेज टैरिफ का लाभ दिये बिना, अपनी लागत पर मौजूदा सेवाओं को परिवर्तित कर सकता है। उच्च वोल्टेज टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता मौजूदा सेवाओं के परिवर्तन की लागत स्वयं वहन करेगा। इस

⁹⁰ शहर के लिये प्रतिदिन 17 घण्टों की आपूर्ति।

प्रकार, मीटरिंग प्रणाली के संपरिवर्तन का काम, सम्बन्धित उपभोक्ताओं के द्वारा कम्पनी के पास लागत जमा करने के बाद ही निष्पादित किया जाना चाहिए था।

- खण्ड की लाइन हानि की स्थिति जो संपरिवर्तन से पहले 18 प्रतिशत से 32 प्रतिशत के मध्य थी, संपरिवर्तन के बाद 14 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य हुयी। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ।
- संहिता एवं यूपीपीसीएल के स्पष्टीकरण के अनुसार, ये उपभोक्ता इस प्रकार से भी लाभान्वित हुये कि उन्हें, एलटी मीटरिंग से एचटी मीटरिंग में संपरिवर्तन के बाद एलटी मीटरिंग के लिए बिल की राशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं रही।

इस प्रकार, सम्बन्धित उपभोक्ताओं से मीटरिंग सिस्टम के संपरिवर्तन की लागत वसूलने के बजाय स्वयं के स्रोतों से कार्य का निष्पादन करने के कारण, कम्पनी को ₹ 1.02* करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

if pekpy fo | r forj.k fuxe fyfeVM , oa nff{k.kkpy fo | r forj.k fuxe fyfeVM

3.11 | kexh i cku

प्रस्तावना

3.11.1 उत्तर प्रदेश के 35* जनपदों में विद्युत वितरण के उद्देश्य से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पविविनिलि) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (दविविनिलि) का गठन मई 2003 में हुआ था। ये कम्पनियाँ* उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कार्य नियंत्रण तथा ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही हैं। प्रबन्धन अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त दो निदेशकों के निदेशक मण्डल में निहित है। दिन-प्रतिदिन के कार्य एमडी द्वारा मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं और अधिशाषी अभियन्ताओं की सहायता से किया जाता है।

कम्पनियाँ अपनी सामग्री-क्रय का विभाजन केन्द्रित एवं विकेंद्रित क्रय में करती हैं। केन्द्रित सामग्री का क्रय अधीक्षण अभियन्ता, सामग्री प्रबन्धन (एसई, एमएम) एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल (एसई, ईएससी) द्वारा मुख्य अभिन्यता, सामग्री प्रबंधन (सीई, एमएम) के पर्यवेक्षण में होता है। सामग्री प्रबन्धन (एमएम) द्वारा पूर्व खपत और कार्य के लक्ष्यों के आधार पर आवश्यकता का आँकलन कर क्रय क्रिया आरम्भ की जाती है। ईएससी और विद्युत कार्य मंडल द्वारा कार्य-सम्पादन हेतु आवश्यकता का आँकलन किया जाता है। निदेशक मण्डल* द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् एसई (एमएम) द्वारा आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। क्रय मूल्यों के अनुसार, चिह्नित निविदाओं का यूपीपीसीएल की निगम भंडार क्रय समिति (सीएसपीसी) अथवा कम्पनी की सीएसपीसी अथवा कम्पनी की प्रबंध निदेशक क्रय समिति (एमडीपीसी) अथवा मुख्य अभियन्ता (एमएम) की संस्तुति पर निदेशक (तकनीकी) की समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, ₹ 10 करोड़ और उसके ऊपर के क्रय यूपीपीसीएल की सीएसपीसी द्वारा, ₹ एक करोड़ से ₹ 10 करोड़ तक का क्रय कम्पनियों की सीएसपीसी/एमडीपीसी द्वारा तथा ₹ 10 लाख से ₹ एक करोड़ तक की प्रत्येक खरीद निदेशक (तकनीकी) की समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। योग्य फर्मों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त क्रय आदेश जारी किये जाते हैं। प्रेषण निर्देश

* सामग्रियों की लागत: ₹ 79.06 लाख और संस्थापन की लागत: ₹ 23.27 लाख।

* पविविनिलि-14 जनपद, दविविनिलि-21 जनपद

* पविविनिलि और दविविनिलि

* जनवरी 2008 से पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा

(डीआई), कम्पनियों के नामित अधिकारियों द्वारा सामग्री के निरीक्षण के पश्चात् जारी किये जाते हैं। कम्पनियों के विद्युत भण्डार खण्ड (ईएसडी) सामग्री प्राप्त करते हैं और वे सामग्री क्रय के भुगतान, देरी से की गई आपूर्तियों के दण्ड शुल्क, यदि हों तो, की कटौती के बाद करते हैं। ईएसडी सामग्री के भण्डारण और रख-रखाव हेतु उत्तरदायी हैं।

इन कम्पनियों ने 2007-08 से 2011-12 तक की समयावधि में ट्रान्सफार्मरों, मीटरों, केबिलों तथा तारों, खम्भों और वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों की खरीद हेतु ₹ 1,638.83 करोड़ की 200 निविदाओं को अन्तर्मीकृत किया। हमने पविविनिलि[▲] मेरठ एवं दविविनिलि[∞] आगरा के सीई (एमएम), ईएसडी एवं विद्युत कार्यशाला खण्ड में 2007-08 से 2011-12 तक की समयावधि में केन्द्रीय सामग्रियों के क्रय के ₹ 893.12 करोड़ की 107 निविदाओं का परीक्षण किया तथा हमारे लेखापरीक्षा प्रेक्षण आगामी प्रस्तरो में दिये गये हैं:

; kst.uk

आव यकता का आँकलन

3.11.2 कम्पनियों ने सामग्री प्रबन्धन हेतु न तो कोई मैनुअल तैयार किया है और न ही क्रय की जाने वाली सामग्री की युक्तिसंगत आवश्यकता के आँकलन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की है। सामग्री की आवश्यकता का आँकलन उपलब्ध भण्डार तथा उपयोग की मात्रा को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। आँकलन टुकड़ों में किया गया था जिसके कारण बारम्बार निविदा प्रक्रिया हुई। परिणामतः, सामग्री उच्च दरों पर क्रय की गई तथा अतिरिक्त व्यय हुआ।

दविविनिलि में, उसी सामग्री के क्रय के लिए दो से पाँच माह की अल्प-अवधि में निविदाएँ अन्तर्मीकृत की गईं। हमने पाया कि पूर्व की निविदा की तुलना में अगली निविदाओं में उसी सामग्री की दरें 3.36 से 9.99 प्रतिशत अधिक थीं। परिणामस्वरूप, सामग्री क्रय में ₹ 2.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय ¼ f j f k'V&18½ उच्च दरों के कारण हुआ, जैसा नीचे वर्णित है:

- चार विभिन्न सामग्रियों^{*} के क्रय हेतु कम्पनी ने पिछली निविदा से चार माह के भीतर नयी निविदायें आमंत्रित की और आपूर्तिकर्ताओं से नई आपूर्तियों हेतु 3.36 से 4.81 प्रतिशत अधिक दरों पर अनुबंध किये। परिणामस्वरूप, ₹ 44.27 लाख का अधिक व्यय हुआ।

दविविनिलि के प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2012) कि अनुगामी निविदायें व्यवसाय योजना तथा वीआइपी कार्यों हेतु आमंत्रित की गई थीं।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त क्रय किसी निर्धारित योजना के लिए न होकर रोजमर्रा कार्य जैसे प्रणाली सुधार हेतु थे। व्यवसाय योजना में सम्पादित होने वाले कार्यों तथा उनके लिए सामग्री आवश्यकता की प्रबन्धन को पहले से ही जानकारी थी। इस प्रकार, एक ही सामग्री की दो निविदाएँ कम समय-अवधि में जारी करना इस तथ्य को बल देता है कि प्रबंधन वास्तविक आवश्यकताओं का आँकलन करने में असफल रहा।

- मूल्य परिवर्ती खण्ड के साथ मूल्य परिवर्ती दर पर ट्रान्सफार्मरों के क्रय (63 केवीए तथा 10 एमवीए क्षमता) में जहाँ समय व्यतीत होने पर आपूर्तिकर्ताओं को दिया जाने वाला मूल्य निविदा अभिलेखों में दर्शाये गये मूल्य परिवर्ती नियम तथा आईईईएमए[▼] द्वारा प्रत्येक माह प्रकाशित दरों के आधार पर होता है, कम्पनी ने दो माह के भीतर नई निविदा जारी कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ नये अनुबंध कर लिए। हमने पाया कि नई दरें पिछली दरों के नई निविदा की आधार तिथि पर वर्तमान मूल्य से 3.43 से 9.99 प्रतिशत अधिक थी, परिणामस्वरूप इससे ₹ 1.71 करोड़[▲] का अधिक व्यय हुआ।

[▲] ईएसडी, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और सहारनपुर तथा एक विद्युत कार्यशाला खण्ड, मेरठ

[∞] एसई, भंडार मंडल, भंडार खण्ड आगरा, अलीगढ़, झांसी और कानपुर, कार्यशाला खण्ड आगरा तथा आगरा के दो निर्माण खण्ड।

^{*} 3.15 मिमी/10 एसडब्ल्यूजी जी.आई.तार, 4 मिमी/8 एसडब्ल्यूजी जी.आई.तार, 5 मिमी/6 एसडब्ल्यूजी जी.आई.तार, 11 केवी व टाइप स्टील क्रस आर्मस्।

[▼] इण्डियन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन

[▲] 63 केवीए के 1,200 ट्रान्सफार्मर और 10 एमवीए के 50 ट्रान्सफार्मर अनुगामी निविदा में क्रमशः ₹ 7,500 तथा ₹ 1,62,249 प्रति ट्रान्सफार्मर की अधिक दर से क्रय किये गये।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि क्रय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर किये गये थे। उत्तर, हालांकि, अधिक व्यय को उचित नहीं ठहरा पाता है।

0;

सामग्री की दरों की तुलना सम्बन्धी व्यवस्था का अभाव

3.11.3 निविदादाताओं द्वारा उद्धृत मूल्यों की युक्तियुक्तता सुनिश्चित करने हेतु दरों की समान सामग्री की तुलना सीएसपीसी द्वारा अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में अन्तिमीकृत किये गये दरों और अपने क्रियावित आदेशों तथा प्रचलित बाजार दरों के साथ किया जाना चाहिए। इसके लिए, निविदा के अन्तिमीकरण के समय सन्दर्भ हेतु प्रत्येक मद से सम्बन्धित अन्तिमीकृत दरों का एक डाटा-बैंक तैयार किया जाना चाहिए। हमने पाया कि कम्पनियों ने अन्य डिस्कॉमों में सामग्री क्रय हेतु दरों को प्राप्त करने और पूर्व में क्रियावित अपने ही आदेशों से सम्बन्धित डाटा-बैंक तैयार करने हेतु किसी व्यवस्था का सूत्रपात नहीं किया है। ऐसी व्यवस्था के न रहने के परिणामस्वरूप सामग्री की दरों का अन्तिमीकरण उच्चतर पक्ष में हुआ और ₹ 2.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ₹ 11.15 करोड़।

वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों (वीसीबी) के क्रय में परिहार्य व्यय

3.11.4 दविविनिलि ने आगच्छ (इनकमिंग) वीसीबी, परागच्छ (आउटगोइंग) वीसीबी एवं बस कपलरों के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की (नवम्बर 2010)। मूल्य भाग 17 जनवरी 2011 को खोला गया। फर्मों द्वारा उद्धृत न्यूनतम एफओआर (डी) निम्नवत् था:

Qelā ds ulke	vtxPN oit hch 100 u0% 100%	ijtxPN oit hch 1850 u0% 100%	cl diyj 100 u0% 100%
अरेवा टी एण्ड डी इण्डिया लिमिटेड (एटीडीआईएल)	(एल-1) 250113.15	230312.10	209948.51
इलेक्ट्रोटेक्निका	270014.40	(एल-1) 182259.72	156383.34
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)	301440.66	196260.20	(एल-1) 155095.56

स्रोत: दविविनिलि की निविदा पत्रावलियाँ

यह देखा जा सकता है कि एटीडीआईएल आगच्छ वीसीबी, इलेक्ट्रोटेक्निका परागच्छ वीसीबी तथा बीएचईएल बस कपलर के लिए न्यूनतम थे। दविविनिलि ने इलेक्ट्रोटेक्निका से आगच्छ वीसीबी और परागच्छ वीसीबी के लिए उन्हीं की दर पर तथा बस कपलर के लिए ₹ 1.55 लाख प्रति कपलर की दर पर बीएचईएल की दरों पर मोलभाव कर अनुबन्ध किया। हमने पाया कि दविविनिलि ने आगच्छ वीसीबी के मूल्य पर इलेक्ट्रोटेक्निका, जो कि द्वितीय न्यूनतम था, से मोल-भाव एटीडीआईएल के स्तर पर, जो कि ₹ 2.50 लाख प्रति वीसीबी था, नहीं किया। फलतः आगच्छ वीसीबी की खरीद पर (100 नग) ₹ 19,901 प्रति वीसीबी की अधिकता रही परिणामस्वरूप वीसीबी के क्रय में ₹ 19.90 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि तकनीकी आधार से एक ही प्रकार की आगच्छ और परागच्छ वीसीबी का 1:3 के अनुपात में प्रयोग किया जा सकता था। मूल्यों की तुलना उसी आधार पर की गई थी तथा इलेक्ट्रोटेक्निका की दर न्यूनतम थी।

हम इस बात से असहमत हैं क्योंकि निविदा में व्यक्तिगत इकाई की दरें माँगी गई थीं। इसके अतिरिक्त, मोल-भाव का कोई प्रयास नहीं किया गया ताकि दरें एल-1 (एटीडीआईएल) के स्तर पर लायी जा सकें जैसा कि बस कपलर के सम्बन्ध में किया गया था। यहाँ यह भी कहना समाचीन होगा कि एक अन्य प्रकरण⁰⁰ में, इलेक्ट्रोटेक्निका एल-2 था और उसने एल-1 निविदादाता (ईआसन, चेन्नई) की दर पर आगच्छ वीसीबी आपूर्ति करना स्वीकार किया था, परन्तु इस प्रकरण में, मूल्य घटवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

भेदभावपूर्ण क्रय नीति के कारण अतिरिक्त व्यय

3.11.5 जून 2009 से पूर्व, दविविनिलि सामग्री के क्रय हेतु आमंत्रित निविदाओं का मूल्यांकन एफओआर मूल्य जिसमें पैकिंग, अग्रेषण और सभी कर एवं शुल्क सम्मिलित थे, के आधार पर किया करता था। तथापि, इस नीति को, जून 2009 से ट्रान्सफार्मर के क्रय हेतु नहीं अपनाया गया। इनका मूल्यांकन एक्स-वर्क्स मूल्यों तथा पैकिंग व

* ₹ 2,70,014.40 घटाया ₹ 2,50,113.15 X 100= ₹ 19,90,125

⁰⁰ कोटेशन संख्या 682/2011 के द्वारा

अग्रेषण प्रभार के आधार पर किया गया परन्तु कर व शुल्क को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, दविविनिलि द्वारा ऐसे क्रय किये गये ट्रान्सफार्मर की लैण्डेड कास्ट, 2009-10 में उसी निविदा के विरुद्ध निविदादाताओं द्वारा उद्धृत न्यूनतम एफओआर मूल्य से अधिक थी। इसके कारण, कम्पनी को 11 प्रकरणों में विभिन्न क्षमता के 9,368^④ ट्रान्सफार्मरों पर ₹ 6.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदाओं का मूल्यांकन यूपीपीसीएल के आदेश (20 जून 2009) के अनुसार किया गया।

प्रबन्धन, तथापि, अन्य मदों के क्रय हेतु एफओआर के आधार पर तथा ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु एक्स वर्क्स मूल्य के आधार पर निविदाओं के मूल्यांकन का औचित्य देने में विफल रहा।

अनुचित मूल्य परिवर्ती खण्ड के कारण हानि

3.11.6 'निविदादाताओं को अनुदेश' की धारा 1.5.3.1 के साथ 'विशिष्टि की सामान्य शर्तों' की धारा 2.18 यह कहती है कि ट्रान्सफार्मरों, तारों एवं केबिलों के क्रय में, जहाँ एक्स-वर्क्स मूल्य परिवर्तनीय हो, आपूर्तिकर्ताओं को प्राप्त होने वाला परिवर्ती मूल्य आपूर्ति आदेशों में उल्लिखित आधार तिथि के सन्दर्भ में आईईईएमए[→] या सीएसीएमएआई[♦] द्वारा जारी मूल्य परिवर्ती (पीवी) सूत्र एवं परिपत्रों पर होगा। व्यवहारिक रूप से, आईईईएमए/सीएसीएमएआई द्वारा प्रकाशित मूल्य एवं गणक, ट्रान्सफार्मरों के सम्बन्ध में आपूर्ति की तिथि से एक माह पूर्व तथा केबिल एवं तारों के संबंध में 15 दिवस पूर्व लिए जाते हैं। आपूर्ति की तिथि वह तिथि है जब सामग्री अधिसूचित हो जाये कि वह जाँच/प्रेषण के लिए तैयार है या तय आपूर्ति तिथि (कोई सहमत एक्सटेंशन समय सम्मिलित करते हुये), दोनों में से जो पहले हो।

दविविनिलि ने केबिल और तारों के क्रय हेतु पाँच निविदाएँ आमंत्रित (2007-08) की। अनुबन्ध में यह प्रदत्त था कि मूल्य परिवर्ती की गणना के उद्देश्य हेतु ईसी-ग्रेड के एल्यूमीनियम वायर रॉड की लागत, अनुबन्धीय अवधि के अन्दर निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि की मानी जायेगी। तदनुसार, केबिलों एवं एसीएसआर तारों के मूल्य निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि पर प्रभावी मूल्यों पर अपडेट किये गये तथा भुगतान किया गया।

हमने पाया कि इन केबिल एवं तारों की आपूर्ति हेतु हुये अनुबन्धों में प्रचलित संव्यवहार के अनुरूप आईईईएमए/सीएसीएमएआई के प्रकाशित मूल्यों व गणकों का निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि से 15 दिन पूर्व की दरों की अनदेखी की गयी। अतः, कम्पनी ने ₹ 1.57 करोड़[♥] का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) की कम्पनी में दोनों विधियाँ विद्यमान हैं, मूल्य परिवर्ती की गणना निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि एवं सामग्री के निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि से 15 दिन पूर्व से की जाती रही है। अब एक ही संव्यवहार यानि सामग्री के निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि से 15 दिन पूर्व का मूल्य परिवर्ती ही मान्य है।

तथापि, सत्यता यही बरकरार है कि प्रचलित संव्यवहारों से भिन्न प्रक्रिया के प्रयोग से कम्पनी को परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है।

मरम्मत की उच्चतर पैकेज दरों की अनुमति के कारण हानि

3.11.7 ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत की परिवर्तित प्रक्रिया (मार्च 2002) के अनुसार, अलग-अलग करके एचबी व एलवी क्वायल्स (इंस्यूलेटेड एल्यूमिनियम तथा कापॉर क्वायल) निकालने के पश्चात् क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के केवल कोर और टैंक मरम्मतकर्ताओं को दे दिये जाते हैं। मरम्मतकर्ताओं से अपेक्षित था कि अलग-अलग

^④ 25 नग 10 एमवीए (₹ 0.89 करोड़), 58 नग 5 एमवीए (₹ 1.30 करोड़), 835 नग 250 केवीए (₹ 1.71 करोड़), 450 नग 100 केवीए (₹ 0.47 करोड़), 1200 नग 63 केवीए (₹ 0.95 करोड़) तथा 6800 नग 10 केवीए (₹ 1.12 करोड़) ट्रान्सफार्मर्स।

[→] इण्डियन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन

[♦] केबिल एण्ड कंडक्टर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया

[♥] एरियल बन्च कंडक्टर में ₹ 54.34 लाख, एसीएसआर ड्रग कंडक्टर में ₹ 11.26 लाख, एसीएसआर बीजल कंडक्टर में ₹ 70 लाख तथा एसीएसआर रैकून कंडक्टर में ₹ 21.08 लाख।

किये गये क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से प्राप्त उसी भार व गुणवत्ता के नये एचवी/एलवी लेग क्वायल लगायेंगे।

यूपीपीसीएल की सीएसपीसी ने निविदा विशिष्टि सं० 05/2003 तथा 06/2003 के तहत नवम्बर 2003 की दर को आधार दर मानते हुए विभिन्न क्षमता के एल्यूमीनियम तथा तांबा आबद्ध ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत पैकेज दरों की संस्तुति की (दिसम्बर 2005)। इन्स्यूलेटेड एल्यूमिनियम क्वायल की पैकेज दरें ₹ 229.33 प्रति किग्रा तथा इन्स्यूलेटेड तांबा क्वायल की ₹ 321.88 प्रति किग्रा थी। वितरण कम्पनियों घोषित सूत्र के अनुसार मूल्य विचलन के साथ मरम्मत की पैकेज दरें 2010-11 तक के वर्षों में लागू कर रही थीं।

2010-11 तक विगत पांच वर्षों के दौरान, बाहरी मरम्मतकर्ताओं से 25 केवीए से 1000 केवीए के 1,43,836 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों (पविनिनि^० 78,618 तथा दविनिनि^० 65,218) की मरम्मत कराई गई। कम्पनियों ने एचवी/एलवी लेग क्वायल के लिए कोई लागत विश्लेषण तैयार नहीं किया तथा एचवी/एलवी लेग क्वायल की आधार तिथि (नवम्बर 2003) पर प्रचलित बाजार दरों का सन्दर्भ लिए बिना दरों को स्वीकृत किया। आधार तिथि पर बाजार मूल्य ₹ 111.20 प्रति किग्रा* तथा ₹ 154.69 प्रति किग्रा^० क्रमशः एल्यूमिनियम तथा तांबा क्वायलों के लिए आगणित किया गया था। कम्पनियों के पास प्रचलित दरों के सत्यापन के लिए बीजकों की उपलब्धता थी जो कि हमारे द्वारा बाजार दरों की गणना का आधार थे। इस प्रकार, कम्पनियों ने एल्यूमीनियम तथा तांबा क्वायलों के लिए क्रमशः ₹ 118.13 प्रति किग्रा तथा ₹ 167.19 प्रति किग्रा की अधिक दरें अनुमन्य की, जिससे i j f k'V&20 में की गई गणना के अनुसार 1,43,836 ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत में ₹ 91.75 करोड़ (पविनिनि^०: ₹ 48.40 करोड़** एवं दविनिनि^०: ₹ 43.35 करोड़) का अधिक व्यय हुआ।

दविनिनि^० के प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत में एल्यूमिनियम तथा तांबा क्वायलों की लागत को एल्यूमिनियम तथा तांबा रॉडों के बाजार दरों से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये क्वायलें ट्रान्सफार्मरों के कोर लेग के आकार व प्रकार के आधार पर इन्स्यूलेशन लपेट कर तैयार की जाती हैं।

हम इस तथ्य के आधार पर सहमत नहीं हैं कि बाजार दर की गणना आधार तिथि पर एल्यूमिनियम तथा कॉपर राडों की उद्धृत दरों में इन्स्यूलेटेड एल्यूमिनियम तथा तांबा तारों को बनाने की परिवर्तन लागत को मूल लागत में जोड़कर निकाली गई हैं।

Ldlw/k i clw/ku

स्कन्ध समारक्षण

3.11.8 स्कन्ध का समारक्षण प्रबन्धन का एक अहं कार्य है। हमने स्कन्ध समारक्षण में कमियाँ पायीं जिससे होने वाली वित्तीय हानियों की चर्चा नीचे की गयी है:

गारण्टी अवधि के दौरान ट्रान्सफार्मरों में खराबी

3.11.9 संविदा के सामान्य नियमों के फार्म-बी की खण्ड-30 के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं को वितरण ट्रान्सफार्मरों के कार्य-निष्पादन के लिए आपूर्ति/संस्थापना की तिथि से 18/12 माह की गारण्टी देना था (तीन-सितारा रेटिंग वाले ट्रान्सफार्मरों के संदर्भ में कम्पनियों द्वारा क्रमशः 42/36 माह, बाद में परिवर्तित किया गया)। गारण्टी अवधि के दौरान खराब हो जाने पर, आपूर्तिकर्ता को निशुल्क मरम्मत या क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को प्रतिस्थापित करना था। सूचना की तिथि के तीन माह के भीतर मरम्मत/प्रतिस्थापन नहीं होने पर, प्राप्तकर्ता को यह तय करना था कि

^० इसकी गणना 25 केवीए (₹ 5355/23.35 किग्रा) एवं 400 केवीए (₹ 71,017/220.63 किग्रा) के ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के वास्तव में उपयोग किये गये एचवी/एलवी लेग क्वायल के औसत भार जो सबसे कम थी, से एचवी/एलवी लेग क्वायल के पैकेज रेट को विभाजित करके की गयी है।

^० (गाजियाबाद, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के मण्डल खण्ड)।

^० (आगरा, अलीगढ़, कानपुर तथा झांसी के मण्डल खण्ड)।

* एचवी/एलवी लेग क्वायल के बाजार दरों की गणना नवम्बर 2003 को अन्य आपूर्तिकर्ता/मरम्मतकर्ता द्वारा एल्यूमिनियम रॉड (₹ 92.50 प्रति किग्रा) की उद्धृत दरें, प्रसंस्करण लागत 8.70 प्रति किग्रा एवं परिवहन व्यय ₹ 10 प्रति किग्रा को जोड़कर की गई हैं। ऐसी बाजार दरों की गणना करने में उत्पाद शुल्क तथा विक्रय कर की राशि को नहीं लिया गया है क्योंकि कम्पनी ने उपरोक्त करों को छोड़कर ही पैकेज दरों को अनुमन्य किया था।

^० एचवी/एलवी लेग क्वायल के बाजार दरों की गणना नवम्बर 2003 को अन्य आपूर्तिकर्ता/मरम्मतकर्ता द्वारा तांबा रॉड (₹ 118.50 प्रति किग्रा) की उद्धृत दरें, प्रसंस्करण लागत ₹ 26.19 प्रति किग्रा एवं परिवहन व्यय ₹ 10 प्रति किग्रा को जोड़कर की गई हैं। ऐसी बाजार दरों की गणना करने में उत्पाद शुल्क तथा विक्रय कर की राशि को नहीं लिया गया है क्योंकि कम्पनी ने उपरोक्त करों को छोड़कर ही पैकेज दरों को अनुमन्य किया था।

** दविनिनि^० की पैकेज दरें पविनिनि^० के लिए भी ध्यान में रखी गयी हैं क्योंकि पविनिनि^० ने लेखापरीक्षा को सूचनाएँ प्रदान नहीं किया था।

आपूर्तिकर्ता के बकाया बिल/धरोहर धनराशि में से नये ट्रान्सफार्मर के मूल्य के बराबर की राशि काट ली जाये। असफलता की दशा में, समुचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें फर्म को एक निश्चित समयावधि के लिए काली सूची में डालना भी हो सकता था।

हमने पाया कि विभिन्न क्षमता के 133 ट्रान्सफार्मर गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होकर, पविविनिलि के भण्डार में या फर्मों के पास पड़े थे। हमने यह भी देखा कि 133 में से ₹ 41.37 लाख के 74 ट्रान्सफार्मर फर्मों द्वारा तीन महीने बीत जाने के बाद भी नहीं उठाये गये थे और भण्डार पर पड़े थे तथा ₹ 46.23 लाख के 42 ट्रान्सफार्मर उचित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी वापस नहीं हुए थे एवं 17 ट्रान्सफार्मर, कम्पनी द्वारा 41 से 246 दिनों की देरी से दी गई सूचना के बाद उठाये गये। अतः, इस विषय में प्रबंधन के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण 133 नग ट्रान्सफार्मर खराब स्थिति में कम्पनी और/या आपूर्तिकर्ता के पास बिना मरम्मत हुये पड़े थे। साथ ही साथ, कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को देरी से सूचना देने के कारण गारण्टी अवधि पर भी असर पड़ा।

सामग्री का बारम्बार हस्तांतरण

3.11.10 आपूर्तिकर्ताओं के अधिष्ठान पर सामग्री तैयार हो जाने के उपरान्त, कम्पनी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र पर सामग्री आपूर्ति हेतु प्रेषण निर्देश जारी किया जाता है। हमने देखा कि भारी मात्रा में सामग्री बारम्बार एक भण्डार केन्द्र से दूसरे भण्डार केन्द्र तथा एक भण्डार खण्ड से दूसरे भण्डार खण्ड को स्थानान्तरित की गयी। इतनी भारी मात्रा में सामग्री का स्थानान्तरण इस बात का संकेतक था कि या तो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार प्रेषण निर्देश जारी नहीं किये गये थे अथवा भण्डार केन्द्रों द्वारा आवश्यकता का आकलन त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया था। परिणामस्वरूप, एक भण्डार-केन्द्र में प्राप्त की गयी सामग्री का दूसरे भण्डार-केन्द्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस केन्द्र तक पुनर्परिवहन किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 से 2011-12 तक ₹ 5.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (पविविनिलि*: ₹ 0.95 करोड़ एवं दविविनिलि: ₹ 4.10 करोड़)।

कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि भण्डार सामग्रियों की आकरिमिक आवश्यकता के कारण उक्त कार्य निष्पादित किया गया। उत्तर सामान्य प्रकृति का है तथा यह भण्डार केन्द्रों की बिना वास्तविक आवश्यकता पर आधारित त्रुटिपूर्ण प्रेषण निर्देशों को निर्गत किये जाने को युक्ति संगत नहीं सिद्ध करता है। हम महसूस करते हैं कि परिहार्य परिवहन के खर्चों को घटाने हेतु ऐसा व्यवहार समाप्त होना चाहिए।

इलेक्ट्रानिक मीटरों का विलम्बित निर्गमन

3.11.11 विद्युत भण्डार केन्द्र (ईएससी), फर्रुखाबाद ने मार्च 2005 में प्राप्त सेक्योर-संरचना के 500 इलेक्ट्रानिक मीटरों को छः वर्ष बाद अक्टूबर 2011 में परीक्षण खण्ड को जारी किया। परीक्षण खण्ड द्वारा जाँच करने पर, 25 प्रतिशत मीटर नो डिस्पले प्रदर्शित कर रहे थे एवं शेष को उपभोक्ताओं के परिसर पर लगाने के पश्चात् खराब सॉफ्टवेयर के कारण दिन-तारीख के प्रदर्शन पर 'एरर' दर्शा रहे थे। ईएसडी, कानपुर द्वारा मार्च 2012 यानि कि, छः वर्ष बीत जाने के उपरान्त सेक्योर मीटर्स लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) से समस्त 500 इलेक्ट्रानिक मीटरों को बदलने का निवेदन किया गया। हमने पाया कि इन मीटरों का परीक्षण एवं निर्गमन आपूर्ति आदेशों की गारण्टी समयावधि में नहीं किया गया; और खराबी का पता छः वर्ष बीत जाने बाद लगा, जब गारण्टी अवधि बीत चुकी थी।

अतः, प्रबन्धन के स्तर पर इन मीटरों के विलम्बित परीक्षण एवं निर्गमन से खराबी का पता न चल सका तथा इससे सम्पूर्ण ₹ 31.87** लाख का खर्च व्यर्थ हुआ।

आन्तरिक नियंत्रण

3.11.12 पविविनिलि में हमने पाया कि भण्डारों में कोई उचित आन्तरिक नियंत्रण नहीं था जिसके कारण भण्डारों की गलत लेखांकन एवं दुर्विनियोजन हुआ।

* भण्डार खण्ड गाजियाबाद, मुसदाबाद, सहारनपुर एवं मेरठ।

** ₹ 6.375 x500

- भौतिक सत्यापन में भण्डार में आधिक्य/कमी पाये जाने के उपरान्त भी कोई कदम नहीं उठाये गये जिससे भौतिक सत्यापन एक कागजी कार्यवाही मात्र रह गया।
- भण्डारों में न तो उचित अग्निशमक प्रणाली थी और न ही माल का बीमा कराया गया था। इस कारण से भण्डारों में आग की घटनाओं से सामग्री की हानि हुई।
- एडवाइज ट्रान्सफर डेबिट (एटीडी) असमायोजित रहे, आकस्मिकता में 08बी* में निर्गमित सामग्री लम्बे समय तक नियमित नहीं हुई।
- भण्डारों पर माल की सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी जिससे चोरी और दुर्विनियोजन के मामले हुए।

सामग्री का लेखांकन

3.11.13 सामग्री प्राप्ति एवं निर्गमन के लेखांकन की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, अवर-अभियन्ता स्तर पर मासिक, उप-खण्ड स्तर पर छमाही तथा खण्ड स्तर पर वार्षिक रूप से भण्डार अभिलेखों का रखरखाव एवं संकलन किया जाना अपेक्षित है।

हमने पाया कि उप-खण्ड एवं खण्ड स्तर पर लम्बे समय से भण्डार अभिलेख न तो बनाये जा रहे थे और न ही समाधानित किये जा रहे थे। भण्डार अभिलेखों के विभिन्न माहों में दर्शाये गये आँकड़े एमआईएस के भण्डार के आँकड़ों से मेल नहीं खाते थे जिससे यह परिलक्षित होता है कि भण्डार अभिलेखों एवं एमआईएस के आँकड़ों की जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी।

दविविनिलि के प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि कर्मचारियों की कमी के कारण, भण्डार अभिलेख अपूर्ण थे तथा भण्डार अभिलेखों को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे थे।

कर्मचारियों की कमी के बहाने पर भण्डार लेखों का उचित रखरखाव न हो पाना न्योयोचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था में दुर्विनियोजन की संभावनाओं को खुला रखता है।

स्कन्ध स्तर

3.11.14 कम्पनियों ने यहाँ तक कि प्रमुख सामग्रियों जैसे ट्रान्सफार्मर, तारों, केबिलों, मीटरों, वीसीबी, तथा खम्भों के लिए भी न्यूनतम, अधिकतम, आदेशित/पुनरादेश स्तर का निर्धारण नहीं किया है जिससे कि आवश्यकता अनुसार उचित समय पर वांछित सामग्री का प्रवाह न्यूनतम भण्डारण लागत पर सुनिश्चित किया जा सके।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

मर्र्ज insk ty fuxe

3.12 $\frac{vf}{k} \frac{ksk}{feV/h} dh i q\% i kflr v\$ fuLrkj.k ea iz kkyhxr dfe; ka ds dkj .k gkfu; k;$

$iz kkyhxr dfe; ka ds dkj .k fuxe }kj k ₹ 7-84 djkm+dk ifjgk; 70; ; fd; k x; k v\$ ₹ 3-22 djkm+ds jkTklO vftR djus ds vol j [kks fn; A$

उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), गंगा एक्शन प्लान फेज-II (जीएपी-II), नेशनल गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

* एक प्रारूप जिसके माध्यम से आकस्मिक आवश्यकता में बिना प्राक्कलन के सामग्री निर्गमन किया जाता है तथा आवश्यक औपचारिकताएँ कुछ समय पश्चात् पूर्ण कर ली जाती हैं।

* 1एस एवं 2एस अवर अभियन्ता स्तर पर, 3एस एवं 4एस उपखण्ड स्तर पर, 5एस एवं 6एस खण्ड स्तर पर। अमुख प्रपत्र सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गमन से सम्बन्धित है।

(एनजीआरबीए) के अन्तर्गत सीवरेज प्रणाली के कार्य के निष्पादन के लिए नामित किया गया।

सीवरेज प्रणाली के निष्पादन में विभिन्न गहराइयों में भिन्न व बड़े व्यास वाले सीवेज पाइप को भूमिगत डालने के लिए खाइयाँ बनाने के लिए भूमि का उत्खनन किया जाता है। सीवरेज पाइप डालने और भराव पूरा होने की प्रक्रिया के बाद बड़ी मात्रा में अधिशेष मिट्टी का निस्तारण करना शेष रह जाता है।

भराव करने के बाद बची, अधिशेष मिट्टी को विक्रय योग्य उत्पाद होने के कारण, मौके पर ही, रॉयल्टी जमा करने के पश्चात् बेचा जा सकता है। इस अधिशेष मिट्टी का मौके पर विक्रय दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह निस्तारण लागत वहन करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है और राजस्व भी अर्जित कर सकता है। यहाँ तक कि यदि रॉयल्टी जमा करने के बाद मिट्टी मुफ्त में भी प्रदान की जाये, तो यह कार्य की कुल लागत में निस्तारण लागत को समाप्त कर देगा।

हमने निगम के चार प्रभागों* द्वारा जेएनयूआरएम, जीएपी-II, एनजीआरबीए के अन्तर्गत, जुलाई 2008 से मार्च 2012 के दौरान निष्पादित किये गये आठ सीवरेज कार्यों की नमूना जाँच की और अधिशेष मिट्टी की गणना और निस्तारण में प्रणालीगत कमियाँ पायीं जिनसे हानि हुई, जैसा नीचे परिचर्चा की गयी है:

अधि शेष मिट्टी की गणना में प्रणालीगत कमियाँ

3.12.1 प्रबन्धन के पास भूमिगत आदानों (इनपुट्स) अर्थात्, सीवर पाइपों, स्पेशियल्स, बेडिंग और मैनहोलों के वाल्यूम के आधार पर, अधिशेष मिट्टी की गणना करने की वैज्ञानिक/गणितीय प्रणाली नहीं थी। इसके बजाय, निगम अधिशेष मिट्टी की गणना बिना किसी सूत्र/आधार या विस्तृत माप की गणना के आधार पर करता था और सम्बन्धित सीवरेज कार्यों के डीपीआर में भी सम्मिलित किया था। हमने वैज्ञानिक/गणितीय सही आधार पर** अधिशेष मिट्टी की गणना की और संविदा में प्रावधानित अधिशेष मिट्टी की मात्रा के साथ तुलना की और बड़ी भिन्नता पायी।

तीन कार्यों के मामले में, संविदाओं में मिट्टी के निस्तारण के लिए पृथक प्रावधान किए गये थे, जबकि पाँच कार्यों के मामले में ऐसे कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किये गये थे। अधिशेष मिट्टी की गणना जैसा संविदा में इसके निस्तारण के लिए प्रावधानित किया गया था और हमारे द्वारा वैज्ञानिक गणना के आधार पर इनपुट्स जैसे—पाइपों, स्पेशियल्स, बेडिंग और मैनहोलों के वाल्यूम के आधार पर की गई गणना, $i f j f' k' V \& 21$ में वर्णित, का संक्षिप्त विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है।

Øe l d; k	dk; lā dh l d; k	fulRnj .k ds fy; s vf/k ksk feVh dh ek=k %ku elVj ek	vupll/ka ea i to/kfur	ys'kki jh{k)jk vxf.kr	%del%vif/; D; (%ku elVj) ea	fulRnj .k ylxr (₹)	vf/k ksk feVh l snj* ij ikr gtus okyh vuplfur vk; dkye (4) x nj	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2*	55086	234800	(179714)	11013505	--	11013505	15144600
2	1*	287598	188566	99032	53108019	--	53108019	12162507
3	5°	उपलब्ध नहीं	76269	(76269)	उपलब्ध नहीं	14271455	14271455	4919351
; lX	8	342684	499635	(255983) 99032	64121524	14271455	78392979	32226458

* परियोजना प्रबन्धक-IV, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, लखनऊ; गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद; गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी; गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर।
 ** सूत्र: बेलनाकार पाइप के लिए मिट्टी की मात्रा: πr^2 जहाँ $\pi=22/7$, 'आर' पाइप की बाहरी त्रिज्या, 'एल' पाइप की लम्बाई है वृत्तीय मैनहोलों के लिये मिट्टी की मात्रा $\pi r^2 h x$ मैनहोलों की संख्या, जहाँ 'एच' मैनहोल की गहराई है; बेडिंग की मात्रा, संविदाओं में वास्तविक रूप से प्रावधानित।
 * ट्रांस वरुणा, वाराणसी के सीवरेज कार्यों की डीपीआर में 1.5 मीटर की गहराई में मिट्टी के उत्खनन के लिये प्रावधानित न्यूनतम दर ₹ 64.50 प्रति घन मीटर दर।
 * तीन संविदाओं में जहाँ अधिशेष मिट्टी का निस्तारण अलग से उपलब्ध कराया गया था ₹ 6.41 करोड़ के लिए 3,42,684 घनमीटर अधिशेष भूमि के निस्तारण के औसत दर ₹ 187.12 प्रति घनमीटर थी।
 * जिला-III भाग-II लखनऊ एवं अन्दुरुनी पुराना क्षेत्र भाग-I कानपुर के सीवरेज कार्य
 * ट्रांस वरुणा सीवरेज, वाराणसी
 ° रिलीयिंग ट्रंक सीवर वाराणसी, सीवरेज कार्य जिला ए.ई., बी एवं ई तथा डी इलाहाबाद में।

हमने पाया कि संविदाओं में अधिशेष मिट्टी के त्रुटिपूर्ण आगणन एवं प्रावधान के कारण आर्थिक हानियाँ हुईं जिनकी परिचर्चा नीचे की गई है:

- वैज्ञानिक सूत्र के आधार पर, दो कार्यों के मामले में हमारे द्वारा की गई गणना के आधार पर अधिशेष मिट्टी की मात्रा 2,34,800 घनमीटर होती है, जबकि, प्रबन्धन ने संविदाओं में केवल 55,086 घनमीटर अधिशेष मिट्टी का प्रावधान किया था। इस प्रकार, संविदाओं में 1,79,714 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के लिए कम प्रावधान थे, क्योंकि अधिशेष मिट्टी की मात्रा वैज्ञानिक रूप से 2,34,800 घनमीटर से कम नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि संविदाओं में प्रावधानित 55,086 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण की मात्रा को सही मान लिया जाये तो, डीपीआर/संविदाओं की बीओक्यू में प्रावधानित बिछाये जाने वाले पाइपों की मात्रा गलत हो जायेगी, क्योंकि वास्तव में प्रयुक्त पाइपों की लम्बाई/साइज, डीपीआर/संविदाओं में प्रावधानित मात्रा से कम होगी और परियोजना को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी। अतः अधिशेष मिट्टी का ही प्रावधान गलत था।
- एक कार्य* की संविदा में, 2,87,598 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के लिए प्रावधान किया गया था, जबकि हमारे द्वारा की गई वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर अधिशेष मिट्टी की मात्रा 1,88,566 घनमीटर से अधिक नहीं हो सकती थी। इस प्रकार, 99,032 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के लिए किये गये अधिक प्रावधान से ₹ 1.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसकी गणना ₹ 184.66 प्रति घनमीटर की दर से की गई है जो कि मिट्टी के निस्तारण लागत के रूप में सीवर पाइपों को बिछाने के लिए प्रदान किये गये संविदा के समग्र दर में सम्मिलित है।
- पाँच कार्यों के लिए संविदाओं में, अधिशेष मिट्टी के निस्तारण की मात्रा अलग से नहीं दर्शाई गई थी, इसके बजाय यह, अधिशेष मिट्टी के उत्खनन और निस्तारण के बिल ऑफ क्वांटिटी में सम्मिलित कर दी गई थी। जबकि हमने 76,269 घनमीटर अधिशेष मिट्टी की गणना की, उत्खनित और निस्तारित अधिशेष मिट्टी की मात्रा की शुद्धता को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था।

अधिशेष मिट्टी के निस्तारण में प्रणालीगत कमियाँ

3.12.2 कार्यों के लिए संविदाओं में प्रावधान किया गया था कि प्रभारी अभियन्ता के निर्देश पर 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर अधिशेष मिट्टी का निस्तारण किया जाये। हमने पाया कि सभी चारों प्रभागों ने, प्रभारी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को निर्गत निर्देशों का, यदि कोई थे, अभिलेख नहीं रखा था। माप पुस्तिकाएँ भी दूरी एवं उन स्थानों का संकेत नहीं देती थीं जहाँ ठेकेदार द्वारा अधिशेष मिट्टी वास्तव में निस्तारित/फेंकी गई। यह सिद्ध करता है कि प्रबन्धन को अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के स्थान और मात्रा के विषय में पता नहीं था जो कि सरकार को रॉयल्टी के भुगतान करने के बाद एक बिकाऊ उत्पाद है।

प्रबन्धन मौके पर अधिशेष मिट्टी के विक्रय की बात सोचने एवं मूल्य अर्जित करने के प्रयास करने में विफल रहा। प्रबन्धन की इस प्रणालीगत विफलता के कारण, निगम को 4,18,953* घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 7.84 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और उसी समय पर, 4,99,635* घनमीटर मिट्टी निस्तारण में लगभग ₹ 3.22 करोड़ की आय अर्जित करने के अवसर से वंचित रहना पड़ा।

हम संस्तुति करते हैं कि प्रबन्धन, इनपुट्स की मात्रा को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक पद्धति से अधिशेष मिट्टी की मात्रा को आगणित करे और अधिशेष मिट्टी को मौके पर ही विक्रय करके, मिट्टी के निस्तारण में होने वाले व्यय को कम करके, परियोजना की लागत को कम करने के लिए आदेश निर्गत करे। प्रबन्धन को ये सुधारात्मक कार्य परियोजना परिपालन इकाई, गाजियाबाद द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीवरेज कार्यों में सम्मिलित किये जाने चाहिए।

* ट्रान्स वरुणा सीवेज कार्य, वाराणसी

* तीन कार्यों के लिए संविदा में 3,42,684 घनमीटर प्रावधानित और पाँच कार्यों के लिए 76,269 घनमीटर लेखापरीक्षा के द्वारा अभिकलित

* सभी आठ कार्यों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित।

प्रकरण निगम एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2013)।

3.13 I hoj ykbuka ds fuekZk ij ifjgk; Z0; ;

i; klr jkdfkfe fu; a.k fd, fcuk] unh ds fdukjs tks ck<+ v/kke[k Fkk] I hoj ykbuka dk fuekZk fd; k x; k ftlls I hoj ykbu dk , d fgllk ck<+ ls {kfrxLr gks x; k} vkj {kfrxLr I hoj ykbu ds iqlFkki u ij ₹ 2-36 djkm+ dk ifjgk; Z0; ; djuk iMkA

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद (प्रभाग) ने जून 2007 से मार्च 2009 के दौरान ₹ 3.91 करोड़ की लागत पर सीवेज को अमिताभ बच्चन कलवर्ट से सलोरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक ले जाने के लिए गंगा नदी के किनारे सीवेज सिस्टम की तीन परियोजनाओं^Φ का निर्माण कराया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ djkm+e)

Øe I i; k	ifj; kstukvka dk uke	Hkjr I jdkj@mRrj insk I jdkj jkjk Lokdr		okLrfo d 0; ;	Dk; Z iukZ gkus dh frfrk	HMsrd i kfr dh ifr krrk %kpl 2011½
		fnukad	jkf k			
1.	अमिताभ बच्चन पुलिया से सलोरी नाला तक जीएपी-II के अन्तर्गत गन्दा पानी ले जाना	जून 2007	1.11	1.16	मार्च 2008	100
2.	अमिताभ बच्चन पुलिया से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बने 29 एमएलडी के एसटीपी तक सीवर को ले जाने हेतु गायत्री नगर से सादियाबाद गाँव तक सीवर लाइन का बिछाना	जनवरी 2009	1.45	1.61	मार्च 2009	100 (सितम्बर 2009 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त)
3.	अमिताभ बच्चन पुलिया से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बने 29 एमएलडी के एसटीपी तक सीवर को ले जाने हेतु रिग बन्ध के कैच पिट तक सीवर लाइन का बिछाना	जून 2009	1.25	1.14	जनवरी 2010	100 (सितम्बर 2009 में कार्य प्रारम्भ)
; lxx			3.81	3.91		

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अपर सचिव ने सलोरी क्षेत्र का निरीक्षण (दिसम्बर 2008) किया और इलाहाबाद के आयुक्त को, एसटीपी सलोरी सहित सीवरेज प्रणाली को बचाने हेतु, गंगा नदी के किनारे के कटाव को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के तत्काल निर्देश दिए। इसके अनुपालन में, आयुक्त ने इस सम्बन्ध में पहल करने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए (दिसम्बर 2008)। गंगा नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए ₹ 36.62 करोड़ का प्राक्कलन सितम्बर 2009 में प्रस्तुत किया गया।

हमने निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किया:

- निगम के प्रबन्धन को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि नदी के किनारे का यह क्षेत्र, जहाँ उपयुक्त तीनों सीवर लाइनें प्रस्तावित थीं, बाढ़ अधोमुख था और परियोजनाओं के डीपीआर में भी इस समस्या की परिचर्चा की गई थी। केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्राधिकारियों के निर्देशों में बताये गये बाढ़ नियंत्रण उपायों के सृजन की प्रतीक्षा किए बिना क्षेत्र में कार्य का निष्पादन जल्दबाजी में किया गया।
- दूसरी सीवर परियोजना जनवरी 2009 में ₹ 1.45 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गयी जबकि सीवर प्रणाली की प्रतिरक्षा हेतु नदी के किनारे* के कटाव को नियंत्रित करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता अच्छी तरह से ज्ञात थी। यह कार्य मार्च 2009 में ₹ 1.61 करोड़ की वास्तविक लागत पर सम्पन्न हुआ। गायत्री नगर से सादियाबाद गाँव तक की यह सीवर लाइन तत्पश्चात् सितम्बर 2009 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई।

^Φ पहली सीवर लाइन अमिताभ बच्चन कलवर्ट से गोमती नगर 100 मीटर सलोरी नाला में।

दूसरी सीवर लाइन गोमती नगर से सादियाबाद गाँव तक - 1100 मीटर सलोरी नाला में।

* तीसरी सीवर लाइन सादियाबाद गाँव से एसटीपी से के कैच पिट तक - 1100 मीटर सलोरी नाले में।

• गंगा

- बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई दूसरी सीवर लाइन के पुनर्स्थापन किए बिना, प्रभाग ने बरसात के मौसम** के बाद सलोरी नाला से बन्धा के रिंग के कैच पिट तक के लिए तीसरी सीवर लाइन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसकी ₹ 1.14 करोड़ की लागत पर पूर्ण होने (जनवरी 2010 तक) की सूचना दी गई। जबकि प्रचालन के लिए यह आवश्यक था कि पहले दो हिस्से क्रम में इसके साथ जुड़े होने चाहिए थे और दूसरा भाग क्षतिग्रस्त हो गया था अतः सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया था।

तत्पश्चात, यह पाया गया कि निगम ने इन सीवर लाइनों की मरम्मत के लिए ₹ 2.36 करोड़ व्यय किया था जो परिहार्य हो सकता था यदि निगम ने सीवेज प्रणाली की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के किनारे के कटाव को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम लिए होते।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2012) कि गंगा नदी के बाढ़ के दौरान, नदी के बहाव में अचानक परिवर्तन के कारण सितम्बर 2010 में 800 मीटर सीवर लाइन बह गई थी। जमीन की अपर्याप्तता के कारण गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर एसटीपी का निर्माण किया था, अतः एसटीपी से सलोरी नाला को जोड़ने वाली सीवर लाइन गंगा नदी के कटान क्षेत्र में ही बनाया जाना सम्भव था।

जबकि वास्तव में तथ्य यह है कि यह ज्ञात होने के बाद भी कि यह क्षेत्र बाढ़ अधोमुक्त था और वहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किये गये थे। प्रबन्धन द्वारा स्थल की स्थिति को ध्यान में रखे बिना, बिना किसी बचाव कार्य किये कार्य को जल्दबाजी में सामान्य रूप से करा दिया गया। इसके अतिरिक्त, निगम के अभिलेखों के अनुसार सीवर लाइन सितम्बर 2009 में क्षतिग्रस्त हो गयी थी न कि सितम्बर 2010 में जैसा कि उत्तर में बताया गया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj i nš k j k T; Hk. Mkj . k fuxe

3.14 vfxæ dj ds l gh vkdyu eafoQyrk ds ifj .kkelo: i gkfu

fuxe vfxæ dj dh jkf'k dk l gh vkdyu djus eafoQy jgkj l kfk gh fu/kk'j r frffk ds ckn vk; dk fjVuž tek djus ds dkj .k ₹ 3-01 dj kM+ dh gkfu gpbA

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 139 (1) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक कर निर्धारिती जिनके खाते की किसी भी कानून के अन्तर्गत लेखापरीक्षा होना आवश्यक है, उन्हें 30 सितम्बर से पहले आय का रिटर्न जमा करना होता है। अधिनियम की धारा 208 के अनुसार यदि देय कर राशि ₹ 5,000 से अधिक हो (1 अप्रैल 2009 से सीमा बढ़ाकर ₹ 10,000 कर दी गयी है) तो प्रत्येक कर निर्धारिती को अग्रिम कर देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 210 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके ऊपर धारा 208 के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान की देयता होती है, अधिनियम की धारा 211 में निर्धारित तिथि तक या तिथि से पहले अपनी इच्छा से भुगतान करना चाहिए।

यदि कर निर्धारिती उक्त प्रावधानों को पूरा करने में विफल रहता है तो अधिनियम की धारा 234 के अन्तर्गत एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज देय होगा:

- 1 अक्टूबर से रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक, कुल आय पर कर की उस राशि पर जो अग्रिम कर और स्रोतों पर कर कटौती/संग्रहण को घटाने पर आती है (धारा 234ब)।

** सितम्बर 2009 के बाद

^λ नियत तिथियाँ

पूर्व वर्षों के 15 जून तक या पहले
पूर्व वर्षों के 15 सितम्बर तक या पहले
पूर्व वर्षों के 15 दिसम्बर तक या पहले
पूर्व वर्षों के 15 मार्च तक या पहले

देय अग्रिम कर

देय अग्रिम कर की राशि के 15 प्रतिशत से कम नहीं
देय अग्रिम कर की राशि के 45 प्रतिशत से कम नहीं
देय अग्रिम कर की राशि के 75 प्रतिशत से कम नहीं
देय अग्रिम कर की राशि के 100 प्रतिशत से कम नहीं

- 1 अप्रैल से कुल आय के निर्धारण की तिथि तक, उस राशि पर जिसके द्वारा निर्धारित कर से भुगतान किया गया अग्रिम कर कम होता है (धारा 234ब)।
- यदि कर निर्धारिणी, अधिनियम की धारा 211 के अनुसार देय अग्रिम कर की किशतों का भुगतान करने में विफल रहता है तो कम भुगतान की गयी राशि पर (धारा 234स)।

हमने पाया (फरवरी 2012) कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (निगम) ने, अग्रिम कर की देयता के ऑकलन के लिए अपनी सही आय के आगणन हेतु कोई प्रणाली नहीं बनायी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 17.26 करोड़ का अग्रिम कर कम निर्धारित एवं कम जमा किया गया। निगम ने वित्तीय वर्ष 2006–07, 2008–09 और 2009–10 के आय कर रिटर्न भी देर से जमा किये। परिणामस्वरूप, निगम ने ₹ 3.83 करोड़ (धारा 234अ: ₹ 1.29 करोड़; धारा 234ब : ₹ 1.66 करोड़ और धारा 234स : ₹ 0.88 करोड़) का ब्याज का भुगतान किया। परिणामतः, निगम ने ₹ 3.83 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया और ₹ 3.01 करोड़ (₹ 3.83 करोड़ घटाया ₹ 0.82 करोड़^Δ) की परिणामी हानि वहन की।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2012) कि व्यवसाय में वृद्धि, टीडीएस प्रमाण पत्र देर से प्राप्त होने और कर्मचारियों की कमी के कारण, आय का ऑकलन नहीं हो पाया और खातों के अन्तिम रूप देने में देरी होने के कारण, आयकर रिटर्न देरी से जमा किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2009–10 के सम्बन्ध में, प्रबन्धन ने बताया कि मार्च 2010 के बाद राजस्व वसूली के कारण, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण दरों में संशोधन और पिछले वर्षों के बकाया राजस्व की वसूली इत्यादि के कारण, आय में असामान्य वृद्धि हुई थी। वर्ष के लिए खातों को अन्तिम रूप देने के बाद ही कुल आय का पता लगाया जा सका।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रबन्धन द्वारा उदधृत बाधायें नियमित और पूर्व दर्शित प्रकृति की हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए भी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयकर रिटर्न खातों के विवरण के साथ भी समय पर जमा किया जा सकता था और बकाया आय की वसूली होने पर धारा-139 (5) के अन्तर्गत संशोधित रिटर्न जमा करने का विकल्प निगम के पास था। क्षेत्रीय कार्यालयों से बिक्री की राशि पता लगाकर मासिक/त्रैमासिक आधार पर धारा-234 (ब) के अन्तर्गत आय का अनुमान तर्कसंगत रूप से लगाया जा सकता था और धारा 234 (अ) एवं 234 (स) के अन्तर्गत भुगतान योग्य ब्याज स्वतः ही परिहार्य हो जाता।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम को मासिक/त्रैमासिक आधार पर अपनी आय एवं व्ययों का उचित ऑकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनानी चाहिए जिससे भुगतान योग्य अग्रिम कर का सही ऑकलन करके ब्याज के भुगतान से बचा जा सके।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

I kekl;

3.15 ys[kki jh{kk i fronuka ij vuqkeh dk; bkgh

3.15.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गयी संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उपयुक्त समय से उत्तर प्राप्त करें।

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः फरवरी 2008, फरवरी 2009, फरवरी 2010, अगस्त 2011 एवं मई 2012 में रखे गये थे। वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में

^Δ अग्रिम कर के गैर भुगतान राशि पर अर्जित व्याज, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर अभिकलित, 2006–07 (6.69 लाख), 2008–09 (12.95 लाख), 2009–10 (62.23 लाख)= 81.87 लाख अर्थात् 0.82 करोड़

प्रतिवेदन के उत्तर शासन से अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2013), जिसका विवरण i f j f k'V&26 में दिया गया है।

हम संस्तुत करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुति पर कार्यान्वयन आख्या निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ब) समयबद्ध कार्य योजना के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही और (स) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ कर दिया गया है।

y [kuÅ
fnukd

½Lerk , l - pkskj h½
egkys [kkdkj ½kfkdk , oajktLo {k= ys [kki jh{kdk
mRrj insk

i frgLrk{kfj r

ubz fnYyh
fnukd

½foukn jk; ½
Hkkj r ds fu; æd&egkys [kki jh{kdk